झारखण्ड सरकार

उर्जा विभाग

पत्रांक-18/बोर्ड-01-उ0वि0-08/09- 1006 दिनांक- 2 /7/09

प्रेषक,

श्री रॉबर्ट मिंज,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सचिव,
झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड,
धुर्वा, रांची ।

विषय :- राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त आवेदन पत्र पर आवश्यक कार्रवाई के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक लो. शि. 48/09-1593, दिनांक 18-6-09 के साथ संलग्न आवेदन पत्रों पर आवश्यक कार्रवाई आपके स्तर से ही किया जाना है ।

अत: आवेदन पत्रों को मूल रूप में संलग्न करते हुए अनुरोध है कि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय तथा कृत कार्रवाई की सूचना राज्यपाल सचिवालय एवं उर्जा विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

विश्वासभाजन,

सरकार के उप सचिव ।

राज्यपाल सचिवालय,
झारखण्ड, राँची

दूरभाष : 0651-2283465/66/67
फैक्स : 0651-2201101

पत्रांक-लो0शि0-48/09 1513/रा0स0 राँची, दिनांक- 18/6/09

प्रेषक,
आर0एन0गाहानी,
राज्यपाल के उप सचिव ।

सेवा में,
सचिव,
उर्जा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय:- विभिन्न प्रकार के आवेदन/अभ्यावेदन/ज्ञापन के निष्पादन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक महामहिम राज्यपाल जी को संबोधित/राज्यपाल सचिवालय में निम्नांकित श्रोतों से प्राप्त पत्र/आवेदन की मूल प्रति आवश्यक जाँच एवं नियमानुसार यथोचित कारवाई हेतु संलग्न कर भेजी-जा रही है :-

01. प्रोन्नति में अनियमितता के विरूद्ध श्री अमलेन्दु शरण,केन्द्रीय मंत्री,झारखंड विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ का ज्ञापांक 29 दिनांक 09.05.09
02. 50,000/-रू0 का बिजली प्रत्येक महीना में खुलेआम चोरी के संबंध में आवेदनकगण से प्राप्त लोक शिकायत पत्र दिनांक 19.02.09
03. झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड, सामान्य प्रशासन विभाग नियोजन सूचना सं0 01/2008 के संबंध में अभ्यर्थी का लोक शिकायत पत्र।
04. झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड में सहायक विद्युत अभियंता/सहायक कार्यपालक अभियंता के साक्षात्कार में अव्यवहारिक अंक देकर लिखित परीक्षा में Higher order of Merit के अभ्यर्थी को चयन से वंचित करने के संबंध में।
05. धनबाद जिले के टुण्डी प्रखंड में आदिवासी बहुल 71 गाँव में आज तक बिजली नहीं पहुचने एवं विभागीय पदाधिकारी के कार्य अकर्मण्यता व भ्रष्टाचार के संबंध में जगत महतो, केन्द्रीय सदस्य, झा0मु0मो0 का लोक शिकायत पत्र दिनांक 25.03.09
06. उर्जा विभाग के तहत विद्युत सब-स्टेशन निर्माण में लापरवाही के संबंध में श्री विजय कुमार सोरेन, संयोजक, विद्युत सब स्टेशन निर्माण संघर्ष समिति पाथरकुआँ(कालु बाथान) निरसा,धनबाद से प्राप्त लो0शि0 पत्र दिनांक 26.2.09
07. दूकान में लाईन जोड़ने में बाधा देने के संबंध में श्री अरूण परिहस्त, मेघलालपुरी लेन, वार्ड नं0-6, बी0 देवघर से प्राप्त लोक शिकायत पत्र दिनांक 31.01.09
08. दामोदर घाटी निगम प्रबंधन द्वारा स्थाईकरण हेतु काम से बैठाये गये चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र के 150 पुराने कैजुअल मजदूरों की बहाली एवं मुआवजा के संबंध में एनामुल हक खान, संयोजक, डी0वी0सी0 कैजुअल मजदूर समिति से प्राप्त लोक शिकायत पत्रांक डी0वी0सी0/सी0एम0एस0 12/2009 दिनांक 18.02.2009 एवं समान मामले में समान लोक शिकायतकर्ता का पत्रांक ए0आई0एम0एफ/जे0एच0 24/2009 दिनांक 18.02.2009
09. कोयले की ढुलाई में सी0वी0सी0 गाईडलाइन्स का तेनुघाट विद्युत निगम लि0 के निविदा में घोर उल्लंघन के संबंध में मेसर्स ग्लोब रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड का पत्रांक शून्य दिनांक 16.02.2009

................02/

10. कुटीर उद्योग के लिए विद्युत लाईन प्राप्त करने में महिला आवेदिका श्रीमति स्मिता गुप्ता पत्नी श्री रवि कान्त गुप्ता, करकेन्द बाजार,पुटकी,धनबाद को विभागीय स्तर से काफी प्रताड़ित करने के संबंध में लोक शिकायत पत्र दिनांक 02.03.2009
11. बकाये बिजली विपत्र में सूद की राशि की माफी हेतु श्रीमति अन्नपूर्णा गुप्ता, विजय जेनरल स्टोर, हीनू चौक,राँची से प्राप्त लोक शिकायत पत्र दिनांक 03.03.09

अतः अनुरोध है कि कृत कारवाई की सूचना संबंधित आवेदक एवं इस सचिवालय को भेजने की कृपा की जाय।

अनु0– यथोक्त(कुल 11 पत्र मूल में)।

विश्वासभाजन,

(आर0एन0माहान्ती),
राज्यपाल के उप सचिव।

3-

(3)

सेवा में,

महाप्रबंधक सह अभियंता
[illegible]
[illegible]
राँची

दिनांक 3/3/2009

प्रमुख सचिव
04/3/09

विषय : **बिजली के संबंध में।**

महाशय,

सनिवेदन है कि मैं राजधानी राँची की निवासी 45 वार्ड के रहने वाली हूँ। मैं मिसेज अन्नपूर्णा गुप्ता जो हीनू की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम स्वर्ग0 विजय कुमार गुप्ता। मेरे नाम से बिजली कनेक्शन है पहले मैं बिजनेस करती थी उसके बाद दुकान 2006 से 2007 अप्रैल 2008 तक बंदी थी। फिर दुकान को मैं रेन्ट में लगा दिया। मैं उसी दुकान के रेन्ट से अपनी जीविका चलाती हूँ, इसलिए बिजली बिल की भुगतान मैं नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि इनरेस्ट बहुत हो गया है, फिर भी मैं बिजली बिल चेक के द्वारा 5000 रूपया नगद केस के द्वारा 18050 रूपया दिया हूँ। जिसका सूद लग रहा है, इसलिए मैं सूद को नहीं दे पा रही हूँ ना दे पाउगी, जितना मेरा बिजली बिल यूनिट मीटर में आया है, उतना मैं भरपाई करूंगी। उससे ज्यादा मैं जो सूद है वह मैं नहीं कर पाउगी कारण क्योंकि मैं दुकान के रेन्ट के द्वारा रोजी–रोटी चलाती हूँ। मेरे पति न रहने के कारण मैं बिजली बिल की भुगतान जो भी आयेगा वह करूंगी, कारण कि मैं इसी दुकान के सहारे से मैं अपना जीविका चलाती हूँ। बिजली बिल के इनरेस्ट ज्यादा होने के कारण मैं भुगतान नहीं कर पा रही हूँ।

जो बिजली बिल के इनरेस्ट है वह माफ किया जाये और क्योंकि मैं इसको नहीं दे पाउगी।'

अतः इस आवेदन पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाय और जितना मैंने 23050 रूपया दिया है और जो बिजली बिल बाकी है उसे 23050 रूपया को घटाकर करके जितना पचेगा बाकी वह बिल मैं दूंगी, इनरेस्ट छोड़के , इनरेस्ट मैं नहीं दूंगी।

मेरा कोई सहारा नहीं है मैं अकेली हूँ, इसलिए मुझे बिजली बिल के इनरेस्ट को माफ किया जाय।

आपकी विश्वासी

[signature]

(अन्नपूर्णा गुप्ता)
विजय जेनरल स्टोर,
हीनू चौक, राँची।
3/3/2009

ता: 2.3.09

प्रमुख सचिव

सेवा में,
महामहिम राज्यपाल
राजभवन राज्यपाल सचिवालय
झारखण्ड सचिवालय राँची

विषय :– कुटिर उद्योग के लिए विद्युत लाईन प्राप्त करने में मुझ महिला को विभागिय स्तर से काफी प्रताड़ित करने के संबंध में।

मान्यवर,

आग्रह पूर्वक सचित करना है कि मैने प्लाट संख्या 511 में कुटिर उद्योग की स्थापना हेतु विद्युत लाईन लेने के लिए नियमानुसार रसिद सं0 JV241886 दिनांक 27.5.08 द्वारा 20/– रू0 जमा किये। परन्तु आज तक मुझे विद्युत विभाग करकेन्द में विद्युत लाईन देने के बजाय पत्रांक सं0 3420 में कहा जा रहा है कि आपके ससुर श्री रामेश्वर राम के नाम प्लाट सं0 499 में विभाग का बकाया है।

रेखांकित योग्य बातें है कि प्लाट सं0 511 में ही श्री राम के नाम से विद्युत (KDC1535) में लाईन चालू है अब इसी प्लाट में विद्युत लाईन लेने हेतु आवश्यक शुल्क जमा करने पर भी अनावश्यक रूप से मुझ महिला को लाईन देने के बजाय तरह–तरह से प्रताड़ित करने के अलावे कुटिर उद्योग की स्थापना से भी वंचित हूँ।

मेरे ससुर के नाम पर 511 प्लाट पर किसी प्रकार का कोई बकाया नहीं हैं। अगर पूर्व में किसी अन्य प्लाट पर बकाया होगा तो विभाग को वसूली हेतु कारवाई करनी चाहिए न कि मुझ महिला को लाईन से वंचित रखना चाहिए।

उल्लेखनिय है कि सरकार महिला को रोजगार कुटिर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे है। दूसरी ओर सुविधा शुल्क के बिना विद्युत विभाग लाईन देने से तरह–तरह का अडंगा लगाने से नहीं चूक रही।

अतएव श्रीमान से आग्रह है कि उक्त प्लाट पर जो विभागिय वकाया से पूर्णतः मुक्त है साथ ही इसमें पूर्व से ही विद्युत सं0 1535 चालू है तो मुझे कुटिर उद्योग हेतु आवश्यक लाईन देने का निर्देश देने कि महत्ती अपिल करती हूँ। ताकि मैं अपनी अधिकार से वंचित नहीं रह सकू जो आज तक विद्युत विभाग के सौजन्य से वंचित हूँ।

इस उपहार के लिए सदैव आभारी रहूँगी तथा कृत कारवाई से अवगत की अपेक्षा के साथ

विश्वासभाजनी

Smita Gupta

स्मिता गुप्ता
W/o रवि कान्त गुप्ता
करकेन्द बाजार
गल्लापट्टी, पो0 : कुसुण्डा
थाना : पुटकी, धनबाद
झारखण्ड 828116
मो0 : 09798303171

प्रतिलिपि :–
1) महाप्रबंधक
विंधुत बोर्ड, धनबाद

अनु0 यथो पृष्ट प्रति
हस्ताक्षरित सहित संलग्न

विभागिय पत्र 3420 कि छायाप्रति संलग्न

(29)

विद्युत कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, धनबाद

सिरियल

पत्र संख्या 3420 धनबाद, दिनांक 13/10/08

सेवा में

श्रीमती स्मिता गुप्ता
पत्नी श्री रवि कान्त गुप्ता
करकेन्द बाजार
पोस्ट- कुसुण्डा, ८२८११६
जिला - धनबाद ।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के तहत अपने श्वसुर श्री रामेश्वर राम गुप्ता के वकाया राशि का व्योरा प्राप्त करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के तहत मांगी गई सूचना आपके प्रश्नोत्तर के आलोक में उपलब्ध कराई जा रही है ।

	प्रश्न	प्रश्नोत्तर
१-	कार्यालय पत्रांक ३१८ दिनांक १८-६-०८ के अन्तर्गत आपने यह दर्शाया कि हमारे श्वसुर रामेश्वर राम गुप्ता के नाम पर वकाया राशि है ।	श्री रामेश्वर राम उपभोक्ता संख्या के० डी०आई० ११०४ पर विभागीय राजस्व वकाया राशि रू० २९,९६२-०० लम्बित है जो भुगतान योग्य है ।
२-	आपके द्वारा दर्शाये गये राशि के संबंध में वसूली के लिए आपने अभी तक क्या कोई कार्यवाही की है। यदि नहीं तो क्यों नहीं ?	आपके श्वसुर श्री रामेश्वर राम गुप्ता को कार्यालय से आग्रह किया गया कि वकाया राशि का भुगतान कर दें । उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि मैं उक्त राशि का भुगतान कर दूंगा । राजस्व उगाही का मभिलेख भी दिया गया लेकिन उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया जिसके चलते कानूनी कार्यवाही नहीं की गई । (1) १५ दिवसीय नोटिश दिया जा रहा है, भुगतान नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही कर दी जायगी ।
३-	आपने अभी तक वसूली की कार्यवाही नहीं की तो यदि नहीं की तो साबित होता है कि आपके द्वारा लगाया गया वकाया राशि का आरोप निराधार है एवं विल्कुल गलत है ।	आपको यह जानकारी होना चाहिए कि (2) झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का वकाया उपभोक्ता के मकान एवं प्लाट पर रहता है, आदमी तो रहता है और नहीं भी रहता है लेकिन प्लाट रहता है। आपके प्लाट संख्या ४९६ खाता संख्या २३ पर विभागीय वकाया लम्बित है । विभागीय वकाया सही है और मीटर खपत के आधार पर विपत्र निर्गत किया गया है जो सही है । यह आपके सोच के परे एवं सरकारी राशि [illegible] नहीं करने की साजिश है ।

Smita Gupta

Smita Gupta

(8)

25

४- आपके द्वारा दिखाई गई बकाया राशि का पूरा ब्यौरा सहित अभिलेख की छाया प्रति दें ।

पूर्व में ही आपके श्वसुर को विभागीय बकाया का अभिलेख दिया जा चुका है और सारी जानकारी कार्यालय में आने पर उनको दिया जा चुका है और भुगतान करने का वादा भी मौखिक करके गये थे लेकिन पुनः आपके पास भेजा जा रहा है ।

५- हमारे श्वसुर रामेश्वर राम गुप्ता ने आपके यहां कब विद्युत संबंध के लिए आवेदन दिया था एवं किस परिसर (मकान) में विद्युत संबंध दिया गया था , उस मकान का भाडा का होल्डिंग नम्बर क्या है ?

आपके श्वसुर रामेश्वर राम गुप्ता को स्वयं जानकारी होगी कि हमें झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड पूर्व में विहार राज्य विद्युत बोर्ड के द्वारा कब, कहां विद्युत संबंध बहाल किया गया था कारण उक्त अवधि में विहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा आपके श्वसुर जी के साथ करारनामा किया गया था । करारनामा में सारी बातें उल्लेख रहती है । कृपया उनका करारनामा देखें सभी जानकारी प्राप्त हो जायगी कारण एक प्रति आपके श्वसुर को उपलब्ध वर्ष १९९१ में कराई गई होगी ।

६- विद्युत संबंध लेने के समय हमारे श्वसुर ने कौन कौन दस्तावेज आपके यहां दिये सभी दस्तावेजों की छाया प्रति उपलब्ध करावें ।

सर्व प्रथम तो आप झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के उपभोक्ता नहीं हैं जिससे किसी व्यक्ति के बारे में एवं उनके द्वारा दिये गये अभिलेख की जानकारी आपको दिया जाय । कार्यालय यह नहीं जानता है कि आपके श्वसुर रामेश्वर राम गुप्ता हैं कारण श्री गुप्ता द्वारा इस प्रकार का कोई शपथ पत्र नहीं दिया गया है कि श्रीमती स्मिता गुप्ता हमारी बहु है । अगर श्री रामेश्वर राम गुप्ता द्वारा अभिलेख मांगा जाता है तो नियमानुसार शुल्क अदाकर सभी दस्तावेजों की छाया प्रति प्राप्त की जा सकती है साथ ही यह भी जानकारी दी जाती है कि जब श्री गुप्ता द्वारा नया विद्युत संबंध लिया गया होगा तो उन्हीं के द्वारा ही अभिलेख जमा किया गया होगा जो उनके पास ही है ।

विश्वासभाजन

[signature] 13/10/04

विद्युत कार्यपालक अभियन्ता

धनबाद

श्री ।।

GLOBE ROADWAYS PRIVATE LIMITED

To
The Hon'ble Governor
Jharkhand.
Ranchi.

Principal Secretary
04/3/09

Date 16/2/2009

Return

28

DS

Sub:- Rampant Violation of the CVC guidelines. in the Tenders invited by TVNL for transportation of Coal.

Energy Deptt

Sir,

With reference to the above it is to draw your kind concern that compliance of ethics and guidelines decided by CVC, Govt. of India for restoring transparency, faith and trust of every common citizen of India as regards to the tender procedure to be followed by the different units of Central Government/ State Government Undertaking and other principles of Tender Process has been strongly violated by one of unit of State govt. of Jharkhand namely " Tenughat Vidyut Nigam Limited, Ranchi ".

In the tenders invited by TVNL during 2008 Vide NIT No.10, 11, 12 & 13 dated 29.05.08, we stood as lowest bidder in the said NIT's and our performance was always recorded satisfactory in past by the same office as we were the running agency who use the transport the coals from difference collieries to the generating site of TVNL. Despite quoting the lowest rate in NIT and having legitimate expectation to get the work awarded in our favour, the second lowest bidder M/s B.K.B whose rate was almost 10 to 20% higher in different N.I.T as compared to our rate, had been awarded work in the terms and condition of M/s B.K.B even by ignoring all the defined condition of BOQ and by violating every norms of CVC guidelines. The second lowest bidders was call for negotiation and had been awarded the work at much higher rate against the lowest rate arrived in the NIT. It was of utmost surprise that despite arriving as lowest bidders in the said NIT we had not been called for any clarification, negotiation etc, When M/s B.K.B was called upon. We have made series of representation to the different official of Jharkhand but no fruits had come as yet.

The TVNL has earlier issued NIT but the same was cancelled to change the eligibility condition and to make eligible M/s BKB.

On perusal of document attached herewith, it will become crystal clear that Govt. bodies like TVNL has least to do with the guidelines and instruction issued by the Central Govt. bodies like to do with the guidelines and instruction issued by the Centeral Govt. bodies like CVC, State Govt. Purchase Manuals etc. in the interest of transparency to be followed by every government unit for restoring faith on the acts of public servant. It is humbly prayed that immediate action over such issue may to be taken from your end so that such malpractice can be controlled in the different government offices of Jharkhand and at the same time justice may be provided to us in light of our deservance in the said N.I.T.

We will remain grateful for the act of yours Kindness.

Encl: - 1. Statement of Facts.
2. Copies of other document

Yours Faithfully

Head Office: Thana Chowk, Ramgarh Cantt. - 829 122, Distt. - Ramgarh (Jharkhand)
Ph. No. : (06553) - 221276, 221277, Fax : (06553) 221276
Regd. Office: S. N. Ganguli Road, RANCHI - 834 001

STATEMENT OF FACTS

Although the clause 40 under Terms & Conditions of BOQ Cleary talks that the rate quoted by the tenderer against NIT will be inclusive of unloading, stocking and all taxes etc and no charge in addition to the quoted rate will be payable by the TVNL. Also it did not talk for quoting rate for loading work even .Thus according to them only, there need be one rate quoted for the purpose. But the price part format in their BOQ reflect contradictory picture against their terms mentioned in BOQ even. According to their price part format, they had soughed rate against different heads as hereunder:-

Price part format soughing price under different heads:-

1.) * Collection & loading of coal after segregating shales, Stones, clay, mud etc. in truck/dumper.
* Transportation of the same by Road.
* Complete unloading of the same in the Coal yard of Tenughat TPS, Lalpania as per direction of Engineer-in-charge

2.) Any Other charges, if any.

Thus terms and condition of BOQ and their pricing format are just reflecting. contradictory pictures.

In light of the clause 40 of the BOQ, we had quoted single rate for loading, transportation and unloading of coal at the defined site of TVNL. But M/s BKB had quoted two rates in their price part format and even total rate column was left blank for entering into the act of manipulation in connivance with the TVNL MANAGEMENT. Thus price part column of M/s BKB was more vague and not in line to the guidelines of CVC and thus was in deservance for rejection. But TVNL management for the reason best known to them had rejected price part us and in the process of giving due favor to M/s BKB, accepted exorbitant price of M/s BKB and thus resulted in gross violation of established norms and ethics and also allowed extra expenditure of govt. revenues.

(Both the "Clause 40" of Terms & Conditions & Their BOQ format are enclosed as Annexure-1)

11.) A.) Reason submitted by M/s TVNL in their Written Statement in High court for rejection of our quoted price even though we were L-1 bidder is that we have not quoted our rates in accordance with clause '40'of terms & conditions & rate quoted by us was not very clear to them. It appears strange that a Govt. Bodies like TVNL is not having idea on the service tax affairs. Rather they appear to be least concerned on the govt. revenues as amount of service tax is a strong source of Govt revenues. Cost on account of service tax is to borne by the TVNL only as transporter will not bear this from their own pocket. So while paying on such account TVNL must be aware that how much they are paying to the agency on account of service tax

and whether the timely deposit of service tax is there or not. Moreover applicability of service tax rate is not vague and it has been clearly mentioned in the guidelines as 3.09% in case of transportation work. Further bifurcation of service tax amount and other amount was also essential in view of the fact that in case of price escalation on account of variation in price diesel calculation of revised rate is applicable. Further rate of service tax is always subject to change and thus need to isolated from the WORK rate. We have quoted our rate in the same light. Thus rejection of our offer only on this account is strongly against the ethics, defined rules and guideline and it accounts to the gross misconduct by the TVNL management.

B) Clause'49'of Terms & Conditions & clause '11' of CVC guidelines clearly speaks that if any doubt arises regarding quoted price, TVNL management have to clarify the doubt with the L-1 bidders concerned in writing and were having every right to call the tenderer for clarification \ negotiation and then step forward but it was never done by TVNL for the reason best known to them. (Clause 49 & 11 are enclosed as Ann.-II)

C) In fact, being the L-1 bidder, we were performing the work continuously on the basis of part wise extension of previous work order even after the opening of price part, with the genuine view that power generation at TVNL should not get hampered at entire state is dependent on the power generation of TVNL.We had given topmost priority in meeting the requirement of coal. But despite such belongingness in our part, we had been treated like an undesirable tenderer.

D) Quite apposite to it, it could be seen that the BKB transport who is L-2 bidder, to whom the work orders had been issued fraudulently, had quoted their rates separately for loading & transportation and the very crucial aspect is that their total column is left blank. The same has been left blank with the intention of doing manipulation and it was done also under connivance of TVNL management. (BOQ of L-1 & L-2 bidder is enclosed as annexure –III for your ready reference.) And thus being a incomplete offer, offer of M/s BKB was more liable to be rejected.

But TVNL management instead of giving due regards to our lowest offered rate, preferred to give weight to the offer of M/s BKB which was costing much more to the TVNL and even work order had been issued to M/s BKB in accordance to the terms of M/s BKB (segregated rate) not as per the terms of BOQ (Single rate).

E) Although the tender was opened on 24-06-08 and after lapse of about 4 Months LOI was issued to M/s BKB on 20.10.08 and Work Order was issued on 21.10.08 The TVNL management sat over the matter for about four months but they did not invited us for any purpose like negotiation. It is important to point out that we were transporting the coal on the basis of our agreement which was extended upto 30.10.08.

F) In the Written Statement in High court submitted by TVNL, they have expressed that offer of ours had been rejected as it was a conditional offer but it is strange that we had not been informed officially about the same in writing as of now even.

G) To summarize, it is to submit the TVNL management had entered into the greatest act of malpractice in connivance M/s BKB and in process of the same they have ignored all the set guidelines and procedures of tender and for little of their self interest, they prefer to spend huge extra revenue of the Govt. They had even violated their defined delegated power (as per Delegation of Power "M.D is empowered to place order worth Rs. 1 Crore only. Management had issued work order worth 18 Crore against the defined limit of Rs.1Crore. For issuing such order, Approval of TVNL board was essential and since no chairman is functioning at present at TVNL, Huge order worth Rs 18 Crore had been issued without compliance of guidelines is irregular in itself.

"Clouse '40' of Terms & Conditions" Annexure-1

Conditions of this contract in one month's notice without prejudice to the rights and claims under the contract. Further the Tenughat Vidyut Nigam shall have the right to deduct such amount towards the financial loss that the Nigam might have to sustain due to such acts of omission and commissions of the contractor from his bill or security deposit or any other bill lying with the Nigam.

35. The contractor should be prepared to undertake the transportation work even after completion of the contract period for which 15 days; notice will be issued in advance by General Manager –cum –Chief Engineer, Tenughat TPS or Elect. Superintending Engineer (Mech-2) on approval of Managing Director, Tenughat Vidyut Nigam Ltd.,Ranchi.

36, while working in project area no person of the contractor shall indulge in making or bringing any open lamp or fire near or at the coal yard. Any accident occurring and resulting loss of Nigam's property due to such negligence on the part of contractor's men shall be to the contractor's account. The contractor's and his men shall have to observe all safety and security rules enforced within the project area.

37. The contractor shall be required to comply with any system of documentation introduced by General Manager-cum-Chief Engineer, Tenughat TPS in order to keep watch over the quantity of coal transported by contract.

38. Accommodation will be provided by the Nigam to the contractor and his men subject to availability of the same on payment of rent as per Nigam terms.

39. The quantity mentioned against the colliery, may be shared by more than one transporter in case the target off-take is not satisfactory by the slected /awarded transporter.

40. The transporter shall quote in figure and words his per MT rate of coal to be transported by them in duplicate including unloading and stacking. No further charge whatsoever will be allowed on any account over and above the quoted rates. The rates should be inclusive of all the charges inclusive of service tax and any other taxesetc. If any. The rates once decided shall be firm for the contract period. In case of change in the price of diesel during the contract period the rates will be revised as per the formula indicated below. Claim for revision of rates for any other factors will not be entertained. However, the base date for diesel escalation will be effective from the first date of transportation of coal

For Transportation Rs.EL/3C per MT.

For Loading Rs <u>12 E/190 per MT.</u>

Where E Increase/decrease in price of diesel in Rupees.

Clause 49 of Terms & Condition of NIT

48. SUBMISSION AND OPENING OF TENDERS; Tenders should be submitted in 2(Two) part (Part-1-Technical & Commercial, Part-II price) complete in all respects with all information's as per the requirement of the specification either directly by the tenderer or his authorized representative . In complete tenders with inadequate information may be rejected. Each part of the tender should be submitted in separate envelope duly sealed and superscribed on it NIT No. , due date of opening and name of the work. The envelope should be marked as Part-I and Part-II of the tender shall contain the required Earnest Money alongwith following documents.

* Copy of Work Order in support of required experience as per clause No.7 (i)
* Copy of documentary evidence in support of financial status as per clause No.7 (ii)
* List of dumpers and pay loader with registration; No.
* Certified copy of up to date Income Tax Assessment.
* Valid labour licence.
* Copy of Money receipt for purchase of tender paper.
* Valid character certificate from DC/DM.
* An affidavit sworn in the court of the First class Magistrate that you or any of your Partners is not directly or indirectly related to any of the Nigam's employees.
* Other information's except rate of transportation and documents submitted with the tender should be duly signed by the authorized signatory of the contractor and duly stamped on each paper.
* Submitted photocopy of documents must be attested by a Gazetted Officer.

49. Any clarification / confirmation desired by the Nigam shall be submitted by the tenderer within the time specified in such request. In case of delay in submission of such clarification/confirmation the tender is likely to be rejected summarily.
Authorized representative should present alongwith their authorization letter at the time of opening of tender.
50. REJECTION OF THE TENDER; It shall be noted that tender of those bidders who do not accept all the terms and conditions of the Nigam specification or deviate from the terms indicated in the tender specification or put extra condition of their own or do not furnish the desired information or are incomplete in any respect are liable to be rejected without any reason.
51. BRIBE/COMMISSION : Any bribe/commission /gift or advantages given promised or offered by or on behalf of the contract to any servant or representative of the Nigam any relation to obtaining the contract or during the execution of the contract shall make the tender liable to rejection or termination .
52. PROOF OF TENDER PAPER PURCHASE: The tenderer is required to enclose along with the tender a photo state copy of the receipt granted towards the cost of tender paper failing which the tender may be rejected.

88) 25

Clouse -11 of CVC Guidline (Annexcese-11)

Details of the quotation received and other particulars like the prices, taxes, duties and EMD etc. as read out during the opening of the tenders.

Further, in case of "Two Bid" system, it has been noticed that after opening of the technical bids, the price bids, which are to be opened subsequently, are kept as loose envelopes. In such cases, the possibility of change of bids prior to tender opening can not be ruled out. In order to make the system fool proof, it needs to be ensured that not only the tender opening officer / committee should sigh on the envelopes but the signatures of two trade representatives should also be obtained on all the envelopes containing the price bids. Thereafter all the envelopes should be put in a bigger envelop/box and the same should be properly sealed duly signed by the tender opening officer committee and trade representatives.

11.0 Post Tender Negotiations

As per CVC guidelines circulated vide letter No.8(1)(h)/98(1) dt.18.11.98, it has been brought out that "the tenders are generally a major source of corruption. In order to avoid corruption, a more transparent and effective system must be introduced. As post tender negotiations are the main source of corruption, post tender negotiations are banned with immediate effect except in the case of negotiation with L-1(i.e. Lowest tender)" In continuation to these instructions, following clarifications were issued vide letter No.98/)rd /1 dt. 15.03.99:-

(1) The Govt. India has a purchase preference policy so far the public sector enterprises are concerned. It is clarified that the ban on the post tender negotiations does not mean that the policy of the Govt.of India for purchase preference for public sector should not be implemented.
(2) Incidentally, some organizations have been using the public sector as a shield or a condult for getting costly inputs or improper purchases. This also should be avoided.
(3) Another issue that has been raised is that many a time the quantity to b e ordered is much more than L-1 alone can supply. In such cases, the quantity order may be distributed in such a manner that the purchase is done in a fair, transparent and equitable manner.

Despite the above instructions, it has been noticed that still repeated negotiations with the select/all the vendors are being carried out by some of the organizations in gross violation of the above instructions. The instructions/guidelines circulated by CVC on post tender negotiations only with L-1 need to be strictly followed.

Work order issued by TVNL | Annexure IV

97

तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड

(झारखण्ड सरकार का उपक्रम)

(A GOVT. OF JHARKHAND UNDERTAKING)

हीनू, डोरण्डा, राँची–834002 (झारखण्ड)
HINOO, DORANDA, RANCHI - 834
: 2501015, 2506055, (फैक्स) 2251296, 2253181
TEL. : 2501015, 2506055 (FAX)

दिनांक / Date 21.10.08

/ Ref.

W.O. No. 19/08.

M/s. B.K.B. Transport (P) Limited
2F, Vatika Apartment,
Line Tank Road,
Ranchi-834 001

Sub: **W.O. for transportation of Coal from Parej Colliery of West Bokaro CCL to Coal Yard of Tenughat TPS, Lalpania by Road**

Ref: 1. T.O. NIT No.10/Coal Trans/TVNL/RAN/08-09
2. T.O. letter No.1074/08/A dated 09.08.08
3. T.O. letter No.1335/08 dt 14.10.08
4. Your letter No.BKBTPL/HO/TVNL/CT-PAREJ/08-09 dt 18.10.08
5. T.O. LOI No.04/08 dated 20.10.08.

Dear Sir,

With reference to the above, the undersigned is pleased to place work on you for transportation of coal including loading from Parej collieries, West Bokaro CCL coalfields to TTPS, Lalpania coal yard by road at the rate, terms and conditions given below:-

Sl. No	Name of Colliery	Quantity to be transported (MT)	Rate including service tax / MT
1.	Parej (West Bokaro)	5,00,000	a) for loading- Rs.006.18 b) for transportation-Rs.141.75 TOTAL

(Rupees seven crore thirty nine lakh sixty five thousand) only.

86 (24)

तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड

(A GOVT. OF JHARKHAND UNDERTAKING)

हिनू, डोरण्डा, राँची–834002 (झारखण्ड)
दूरभाष : 2501015, 2506055, (फैक्स): 2251296, 2253181

HINOO, DORANDA, RANCHI - 834002 (JHARKHAND)
TEL. : 2501015, 2506055 (FAX) 2251296, 2253181

पत्रांक / Ref. W.O. No. 20/08

दिनांक / Date 21/10/08

M/s. B.K.B. Transport (P) Limited
2F, Vatika Apartment,
Line Tank Road,
Ranchi-834 001

Sub: W.O. for transportation of Coal from KEDLA OCP Colliery of West Bokaro of CCL to Coal Yard of Tenughat TPS, Lalpania by Road

Ref:
1. T.O: NIT No.11/Coal Trans/TVNL/RAN/08-09
2. T.O. letter No.1074/08/B dated 09.08.08
3. T.O. letter No.1335/08 dt 14.10.08
4. Your letter No.BKBTPL/HO/TVNL/KOCP/08-09 dt 18.10.08
5. T.O. LOI No.02/08 dt 20.10.08

Dear Sir,

With reference to the above, the undersigned is pleased to place work order on you for transportation of coal including loading from KEDLA OCP collieries, West Bokaro of CCL coalfields to TTPS, Lalpania coal yard by road at the rate, terms and conditions given below:-

Sl. No	Name of Colliery	Quantity to be transported (MT)	Rate including loading & unloading charges/MT	Amount(Rs)
1.	Kedla OCP	4,00,000	a) for loading- Rs. 6.18 b) for transportation- Rs. 122.16 TOTAL	24,72,000.0 4,88,64,000.0 5,13,36,000.0

(Rupees five crore thirteen lakh thirty six thousand) only.

[signature]

851

तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड

(झारखण्ड सरकार का उपक्रम)

(A GOVT. OF JHARKHAND UNDERTAKING)

हीनू, डोरण्डा, राँची–834002 (झारखण्ड)
दूरभाष : 2501015, 2506055, (फैक्स) 2251296, 2253181

HINOO, DORANDA, RANCHI - 834002 (JHARKHAND)
TEL. : 2501015, 2506055 (FAX) 2251296, 2253181

दिनांक / Date 21/10/08

पत्रांक / Ref.

W.O. No.....21/08

M/s. B.K.B. Transport (P) Limited
2F, Vatika Apartment,
Line Tank Road,
Ranchi-834 001

Sub: **W.O. for transportation of Coal from Tapin North Colliery of West Bokaro of CCL to Coal Yard of Tenughat TPS, Lalpania by Road**

Ref: 1. T.O. NIT No.12/Coal Trans/TVNL/RAN/08-09
2. T.O. letter No.1074/08/C dated 09.08.08
3. T.O. letter No.1335/08 dt 14.10.08
4. Your letter No.BKBTPL/HO/TVNL/TAPIN/08-09 dt 18.10.08
5. T.O. LOI No.03/08 dt 20.10.08

Dear Sir,

With reference to the above, the undersigned is pleased to place work order on you for transportation of coal including loading from Amlo & Kalyani OCP collieries, East Bokaro of CCL coalfields to TTPS, Lalpania coal yard by road at the rate, terms and conditions given below:-

Sl. No	Name of Colliery	Quantity to be transported (MT)	Rate including loading & unloading charges/MT	Amount (Rs)
1.	Tapin North	3,00,000	a) for loading- Rs. 6.18 b) for transportation-Rs.156.60 TOTAL	18,54,000.00 4,69,80,000.00 4,88,34,000.00

(Rupees four crore eighty eight lakh thirty four thousand) only.

ALL INDIA MUSLIM FORUM

Enamul Haque Khan
Convenor

JHARKHAND COMMITTEE,
CHANDRAPURA, BOKARO.

At: Bhursabad Dormitory,
P.O.: Chandrapura,
Distt.: Bokaro
State: Jharkhand – 825303.
Contact:-9234437696

Ref. No. AIMF/JH-24/2009   Principal Secretary   Date. 18/2/2009

UPC

To
The Hon'ble Prime Minister
Govt. Of India.
New Delhi

26/2/09

Sub - **Compensation and engagement of old casual workers of Chandrapura Thermal Power Station (150 Nos.) who are forced out of job by the management, Damodar Valley Corporation.**

Ref – Discrimination and injustice done by the Central Govt.
PMO. – ID No. – 2/3/2008-PMP-3/581791 dated 28.04.2008.

DS

Energy Deptt

Dear Sir,

With reference to the above we beg to approach your honour of the following facts for further perusal and necessary action from your end.

All the casual labours have been rendered jobless since long and living in abject poverty. We believe that CTPS with its present potential can easily afford to ensure engagement of causal labours in various jobs. We have made repeated representation to management at different levels to save us from being starved but all our efforts are proved to be futile. As a result the casual labours of CTPS are in distraught condition and left to the vagaries of nature. Even Govt has also planned and initiated various schemes to ensure minimum job guarantee to the people. But our case in not considered by DVC so far as engagement of casual at CTPS is concerned.

You are requested to kindly consider the issue of casual labours so that the plight of old casual labours of CTPS may be alleviated to the possible extent.

Thanking You.

Yours faithfully,

Encl – For ready reference a letter in HINDI

(signature) 18/2/9

(Enamul Haque Khan)
Convenor.

Copy to –

1) The Hon'ble Chairperson, UPA, New Delhi.
2) The Hon'ble Union Minister of Power, New Dlhi.
3) The Hon'ble Governor, Jharkhand, Ranchi.

डी० वी० सी० कैजुअल मजदूर समिति

चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र,

ग्रा०: भुरसाबाद, पो०: चन्द्रपुरा, जिला: बोकारो

(झारखण्ड) पिन : 825303 सम्पर्क - 9234437696

पत्रांक. DVC/CMS-12/2009

दिनांक 18/2/2009

सेवा में,

माननीय विद्युत मंत्री,
भारत सरकार,
श्रम शक्ति भवन,
नई दिल्ली।

UPC

विषय :– दामोदर घाटी निगम प्रबन्धन द्वारा स्थाईकरण हेतु काम से बैठाये गये चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र के 150 पुराने कैजुअल मजदूरों की बहाली एवं मुआवजा के सम्बंध में।

संदर्भ :– कमजोर वर्ग के गरीबों के साथ केन्द्र सरकार के भेदभाव, जुल्म और अन्याय।
PMO ID No. 2/3/2008 – PMP – 3/581761, दिनांक 28 / 4 / 2008.

महाशय,

हम आपका ध्यान आपके मंत्रालय के अधीन डी0वी0सी0 के चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन के 150 पुराने कैजुअल मजदूरों की समस्याओं की ओर आकृष्ट करते हुए प्रबन्धन के तुगलकी-दृष्टिकोण एवं दोहरे मापदण्डें की ओर भी आकृष्ट करना चाहते है।

आपको विदित हो कि निगम द्वारा प्रत्यक्ष नियोजित 494 कैजुअल मजदूर सी0टी0पी0एस0 में 1979 तक कार्यरत थे जिन्हे बिना सूचना के अकारण काम से बैठा दिया गया और बाद में उनके स्थान पर ठेकेदारों द्वारा "लेबर सप्लाई" के माध्यम से मजदूरों को अस्थाई रूप से लिया जाने लगा।

1992 में स्थाईकरण हेतु वरीयता सूची (पैनल) तैयार करने के लिए निगम प्रबंधन द्वारा सभी कैजुअल मजदूरों से फोटो के साथ आवेदन लिया गया लेकिन बहाली की प्रक्रिया शुरू नही की गई। 1978 के पैनल से 1986 – 1998 तक 186 में 130 को ही नौकरी दी गई। नौकरी की आस लिए अब तक 50 से अधिक कैजुअल मजदूर मर चुके हैं और लगभग 100 मजदूर मृत्यु के कगार पर खड़े है।

यह जांच का विषय है कि डी0वी0सी0 के सभी इकाईयों के कैजुअल मजदूरों के साथ न्याय हुआ मगर लगातार दो दशक से स्थाईकरण के आश्वासन के वावजूद सी0टी0पी0एस0 के पुराने कैजुअल मजदूरों के साथ आज भी अन्याय हो रहा है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि इस मामले में अविलम्ब व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की कृपा करें, ताकि हम गरीब मजदूरों को जिन्दा रहने के लिए काम और इन्साफ मिल सके।

~~नववर्ष~~ की शुभकामनाओं के साथ,

आपका विश्वासी,
एनामुल हक खान
18/2/09
एनामुल हक खान)
संयोजक

प्रतिलिपि :
1. माननीय प्रधान मंत्री, भारत, नई दिल्ली।
2. माननीय चेयर पर्सन, यू0पी0ए0, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, दामोदर घाटी निगम, कोलकत्ता – 54
4. महामहिम राज्यपाल,

Secretary, Energy प्रमुख सचिव

S&D
GM Dumka

22

सेवा में, 06.02.09

श्रीमान् महामहिम, राज्यपाल महोदय,
झारखंड सरकार, राँची

DS

विषय :- दुकान में लाईन जोड़ने में बाधा देने के संबंध में ।

महाशय,

निवेदन के साथ यह कहना है कि मैं अरुण परिहस्त पिता श्री दिलीप परिहस्त बैद्यनाथपुरी लेन वार्ड नं०- 6 बी० देवघर का रहने वाला हूँ । मैंने दिनांक- 19-12-08 को अपने विद्युत विभाग के कार्यालय से अपने दुकान में नया कनेक्शन का रसीद कटाकर कार्यालय के मिस्त्री लेकर अपने मकान के उत्तर चौक पर के पोल से लाईन जोड़वाने गया तो वहीं मुहल्ले के एस०टी०डी० बुथ के मालिक गुलाब मिश्र उर्फ गुलाब पण्डारी पिता शशिभूषण मिश्र मुहल्ला माधाबांध देवघर वार्ड नं०-15 मेरे मिस्त्री को डरा धमका कर भगा दिया और पोल से लाईन जोड़ने नहीं दिया और बोला कि दुसरा पोल गड़वाकर लाईन ले जाओ इसकी सुचना विद्युत कार्यपालक अभियंता को दि० 5-1-09 को सुचना दी परन्तु इस पर कोई कारवाई नहीं किया गया । जब कि गुलाब मिश्र अपने दुकान में दो पोल लाईन चला रहे है और एक ही मीटर है । । गुलाब मिश्र मेरे साथ झगड़ा करना चाह रहे है इसलिये मुझे प्रशासन से अनुरोध है कि मेरा लाईन जो जोड़वाने की कृपा की जाय ताकि मैं बिजली अपना जला सकूँ । बिजली विभाग के अफसर प्रशासन की मदद दिलाना नहीं चाहते हैं ।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरा लाईन को अविलम्ब जोड़वाने की कृपा अपने स्तर से करने की कृपा की जाय ताकि वहां पर खुन खराबा नहीं हो सके । अन्यथा वहां पर किसी भी समय खुन खराबी हो सकती है इसलिये इसकी सुचना मैं पहले दे रहा हूँ । मुझे बिजली की मदद प्रशासन द्वारा दिलाकर करें।
इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा।

आपका विश्वासी
अरुण परिहस्त

अनुलग्नक-
बिजली विभाग की रसीद की छायाप्रति- 1

811

...No. E.B -69

ORIGINAL

JHARKHAND STATE ELECTRICITY BOARD

RECEIPT FOR SECURITY DEPOSITS

... J.B. R. No.

...eived from Sri/Smt 660497 Arun Parikash

Address S/o Dilip Parikast

- Maghlaspuri Lane Deoghar

Rs 400/- (Rupees Four hundred only) only towards security deposits for supply of energy to the following premises.

Full address of premises ......

art 1270/08-09

OFFICE OF THE / for and on behalf of Jharkhand State Electricity Board 19-12-08

E & O.E. Designation

... receipt ... be produced when claiming refunds, filling up the particulars and receipt below

Received Rs. ... (Rupees ......)

only being balance of deposit as shown below.

Deposit amount ...... Rs. ......

Deduct charges due as per final bill ...... Rs. ......

Net refund

The amount may be paid

By Cash in Divisional Office

by M.O. at my expense by

Cheque

Stamp

Signature of Consumer

Received cash Rs. ...... (Rupees ......

...only)

Signature of consumer

Strike off whatever is not applicable.

In ... of ... payment a further receipt for Cash will be recorded here

R - 68 Receipt No. J A B

...ARKHAND STATE ELECTRICITY BOARD 171501

Service Connection No. Z-

...i Shri Arun Parikash the sum of

(Rupees 155/- (One hundred fifty five only) only towards

Arrear (disconnected)

Charges

charges Rs. Rs. 155/-

...ty Dut... Rs. Esk No - Rs. 08-09

For and on behalf of 19.12.08

Jharkhand State Electricity Board

...credited subject to realisation BHARAT / 5000

80/2

सेवा में,

विद्युत सुपरीटेन्डेन अभियन्ता,
विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, देवघर

विषय - दुकान में लाइन जोड़ने में बाधा देने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन के साथ यह कहना है कि मैं अरुण परिहस्त पिता- श्री दिलीप परिहस्त मेघलाल पुरी लेन, वार्ड नं०-6 बी० देवघर का रहने वाला हूँ। मैंने दिनांक 19/12/08 को आपके आफिस से अपने दुकान में नया कनेक्शन का रसीद कटाकर आपके आफिस का मिस्त्री लेकर अपने मकान के उत्तर चौक पर के पोल से लाइन जोड़वाने गया तो इसी मुहल्ले के S.T.D बूथ के मालिक गुलाब मिश्रा उर्फ गुलाब फलारी ने मिस्त्री को तो मार-धाम की देकर भगा दिया और पोल से लाइन जोड़ने नहीं दिया। बोला कि दूसरा पोल गड़वा कर लाइन ले जाओ। विद्युत कार्यपालक अभियन्ता को भी इसकी सूचना दिनांक 5/1/09 को दी गई है। यह गुलाब मिश्रा खुद अपने दुकान एवं मकान में दो फेज का लाइन जला रहा है एक मीटर से और दूसरे को मना करता है।

अतः श्रीमान से आग्रह है कि यदि मुझे लाइन देने से रोका जा रहा है तो गुलाब फलारी (मिश्रा) के दुकान एवं मकान का दो लाइन में से एक लाइन काटा जाय तथा मुझे इंसाफ दिया जाय।

AEE/Deoghar
EEE/Deoghar
What is matter? discussed ful
[signature]
22.1.09

अनुलग्नक-
(1) आपके विभाग से कटाए गए दिनांक- 19/1/09 के रसीद की छायाप्रति - 1

विश्वासभाजन
अरुण परिहस्त
मेघलाल पुरी लेन, वार्ड नं०-6
बी० देवघर

ता० 22/1/09

79)

सेवा में,

विद्युत कार्यपालक अभियन्ता
विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, देवघर।

विषय — नया [illegible] पोल में [illegible] के संबंध में।

महाशय,

निवेदन के साथ यह कहना है कि मैं [illegible] परिहस्त पिता - श्री [illegible] परिहस्त, मेघलाल पुरीलेन, [illegible] वार्ड नं० 6 का रहने वाला हूँ। मेरे द्वारा दिनांक 19/12/08 को मैं आप के आफिस में दुकान में अपना [illegible] कराने के लिए रसीद कटा कर आफिस में [illegible] [illegible] पोल से लाईन खींच गये। दिनांक 2/1/09 [illegible] S.T.D बूथ के मालिक [illegible] जो है नहीं दिये। अतः श्रीमान् से करबद्ध प्रार्थना है कि प्रशासन की मदद दिला कर लाईन खींचवाने की कृपा की जाय। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा।

Received
[illegible]
5/1/09

अनुलग्नक —

1 साथ में दिनांक 19/12/08 को बिजली आफिस से कटाए रसीद की छाया प्रति-1

विश्वासी भाजन
अरूण परिहस्त
मेघलाल पुरी लेन, देवघर
ता० - 5/1/09

Secretary, Energy

(20 / 78)

D.S.

SED/GH Dhan

केलियाशोल विद्युत सबस्टेशन निर्माण
सघर्ष समिति निरसा (दक्षिण) धनबाद
कार्यालय केलियाशोल (निरसा)

D.S.

दुरभाष न० - 9934340103

पत्रांक ....

दिनांक 26/02/09

सेवा में ,

महामहिम राज्य पाल महोदय
झारखण्ड राज्य राँची

संदर्भ :- उर्जा विभाग के तहत विद्युत सबस्टेशन निर्माण मे लापरवाही के सम्बन्ध में ।

विषय :- धनबाद जिला अर्न्तगत निरसा याना क्षैत्र के पाथरकुआँ (कालुबथान) में विद्युत सबस्टेशन का निर्माण कार्य कराने के सम्बंध मे ।

महाशय

उक्त विषय पर आपका ध्यान केन्द्रीत करते हुए कहना है कि उपरोक्त सबस्टेशन निर्माण कार्य की स्वीकृति वर्ष 2004 को ही दी गयी है जमीन हस्तान्तरण और निर्माण कार्य की आवंटन भी प्राप्त हो चुकी है । सम्बंधीत क्षेत्रो की जनता की और से महाप्रबंधक वो विद्युत अधिक्षण अभियनता झारखण्ड राज्य विद्युत बोड धनबाद को बार बार कार्य प्रारम्भ कराने के लिये अनुरोध तथा बाद में आन्दोलन भी की गई ।
परन्तु इन दोनो पदाधिकारीयों के लापरवाही के कारण अभी तक निर्माण कार्य कार्यस्थल पर निर्माण कार्य प्रारंम्भ नही हो सकी है केवल अपना जिम्मेदारी को छुपाने के लिए सिर्फ एक- दो स्थान पर पोल पिचिगं के नाम पर गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है जबकि सबस्टेशन निर्माण स्थल पर चार दिवारी इत्यादी का काम पहले होना जरुरी था। इस सम्बंध में सुचना के अधीकारी के तहत जानकारी प्रप्त करने के लिए भी नियमानुसार आवेदन भी दी गई परंतु इसे भी नजर अंदाज करते हुये कोइ जवाब नही दी गई!

उपरोक्त विषय के सम्बंन्ध में महामहीम के पास फेक्स द्वारा दिनांक 24 - 01- 2009 फेक्स न० 06512201101 के तहत आवेदन दिया गया है! इसके बावजुद विभाग द्वारा कार्यक्रम में कीसी प्रकार की सुधार या कार्य में प्रगती नही पाया है!

अत:

श्री मान से प्रार्थना है की इस विषय पर उचित कारवाई कराने की दिसा में दिया जाय, अन्यथा आम जनता की आशा उम्मीद भी आप से खत्म हो जायगी/ कार्य कराने की आशा पर हम सदा आपका अभारी रहूँगा !

प्रतिलिपी :-

उपायुक्त महोदय, धनबाद को आवस्यक कारवाई हेतु प्रेषित!

भवदीय :-
[signature]
संयोजक

बिजय कु० सोरेन उर्फ ठाकुर मांझी
विद्युत सब स्टेशन निर्माण संघष समिति
पाथरकुआँ (कालुबाथान) निरसा
धनबाद झारखण्ड

25-MAR-2009 12:08

झा झारखण्ड Secretary, Energy

विशोम गुरु शिबु सोरेन जिन्दाबाद

77 (19)

झारखण्ड मुक्ति मोर्चा

रजि० न० -- 56 R/84/89

जगत महतो

केन्द्रीय सदस्य

झा० मु० मो०

पता : हिरापुर तेलीपाड़ा
सिमलडीह टोला
पो० दामोदरपुर
जि० धनबाद झारखण्ड
मो० : 9334004902
9199049789

पत्रांक ....

दिनांक ....

D.S.

प्रेषक,

जगत महतो,
केन्द्रीय सदस्य, झामुमो
सिमलडीह, तेलीपाड़ा,दामोदरपुर,
हीरापुर, धनबाद – 826001।
मोबाईल – 9334004902 / 9199049789।

महामहिम राज्यपाल,
झारखण्ड, रॉची।

विषयः— **धनबाद जिले के टुण्डी प्रखण्ड में आदिवासी बहुल्य 71 गॉव में आज तक बिजली नहीं पहुॅचने तथा एक गॉव में बिजली का खंमा लगने के बाद 2006 से बिजली विभाग द्वारा लगातार बिजली बिल भेजने की जानकारी देने तथा दोषी अधिकारियों के उपर कठोर कारवाई करने का आग्रह के सम्बन्ध में।**

महाशय,

धनबाद जिले के टुण्डी विधान सभा एवं गिरीडीह संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत टुण्डी प्रखण्ड में 71 आदिवासी बहुल्य गॉव हैं और आजादी के बाद से इन गॉवों में आज तक बिजली नहीं पहुॅच पायी हैं।

दामोदर भैली कॉपोरेशन का मैथन डैम जिस विशाल जमीन पर आज से वर्षो पूर्व स्थापित हुई हैं वह डैम पूर्णतः आदिवासियों की जमीन पर स्थापित हैं और विस्थापित हुये आदिवासी आज दाने–दाने को मोहताज हैं। इन आदिवासियों के विकास के लिए सरकार के नियमों का अनुपालन आज तक डी०वी०सी० द्वारा नहीं किया गया हैं।

एक ओर जहॉ आदिवासी अपने जीवन निर्वाह के लिए निरंतर संघर्षरत है और दाने–दाने को मोहताज हैं वहीं दुसरी ओर स्थानीय बिजली विभाग द्वारा इन आदिवासी गॉव में कहर बरसा रहे हैं। आदिवासी बहुल्य 71 गॉवों के आदिवासी बिजली की रौशनी यह आज तक नहीं जान पाया।

सरकार के दिशा निर्देश के बाद मेरा नवाटॉड पंचायत अन्तर्गत कुरकुरटॉड गॉव में आज से 4 वर्ष पूर्व बिजली पहुॅचाने के नाम पर बिजली विभाग में आदिवासी ग्रामीणों से एस्टीमेट बनाकर पैसा जमा करवाया। 4 साल बीत गये मगर न तो गॉव में बिजली खंभा लगा और न हीं बिजली लाईन का कोई अता पता हैं।

इसी पंचायत के चुररिया गॉव में वर्ष 2005 के अंतिम महिना में बिजली विभाग द्वारा बिजली पहुॅचाने के नाम पर बिजली का खंभा गाड़ा, न तार हैं और न बिजली हैं। वर्ष 6 से आज तक लगातार बिजली विभाग द्वारा बिजली बिल नियमित रूप से भेजा जा रहा हैं। इस संबंध में आदिवासियों ने जब विभाग के लोगों को हकिकत से अवगत

FROM : NAMSKAR FAX NO. : 03262209257 Mar. 25 2009 12:10PM P1

Mar. 25 2009 12:11PM P2 FAX NO. :0326220925? FROM : NAMSKAR

76)

झारखण्ड

दिशोम गुरु शिबु सोरेन जिन्दाबाद

झारखण्ड मुक्ति मोर्चा

रजि० नं० -- 56 R/84/89

जगत महतो
केन्द्रीय सदस्य
झा० मु० मो०

पता : हिरापुर तेलीपाड़ा
सिमलडीह टोला
पो० दामोदरपुर
जि० धनबाद झारखण्ड
मो० : 9334004902
9199049789

दिनांक ....

पत्रांक ....

कराया तो विभाग के लोगों ने धमकाते हुये कहा कि चुपचाप बिजली बिल जमा करते रहो वरना कानुनन कारवाई किया जायेगा और जेल में सडते रहोगें।

वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए इस पत्र के साथ विभाग द्वारा तैयार की गई 71 गाँवों की सूची आपके अवलोकन हेतु प्रेषित कर रहा हूँ। साथ ही साथ बिजली विभाग द्वारा जो आदिवासी ग्रामीणों के नाम बिजली बिल नियमित भेजा जा रहा हैं उस बिल का छायाप्रति भी आपके अवलोकन हेतु इस पत्र के साथ प्रेषित कर रहा हूँ।

आदिवासियों के साथ बिजली विभाग के पदाधिकारियों द्वारा अपनाये जा रहे इस प्रकार की गैरकानुनी रैवया एवं दादागिरी की अपने स्तर से जाँच पड़ताल कर दोषी बिजली विभाग की पदाधिकारियों के उपर विधि सम्मत कठोर कारवाई करने का निर्देश देने का कृपा करें।

महाशय जिस उद्धेश्य को लेकर झारखण्ड राज्य का निर्माण किया गया था, राज्य निर्माण के 9 वर्ष के बाद भी आज भी आदिवासी समाज पूर्णतः उपेक्षित हैं और इनकी दैयनीय स्थिति दिन–प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही हैं। हम सबों का राज्य निर्माण की उद्धेश्य एवं राज्य निर्माण हेतु आदिवासियों द्वारा दी गई कुर्बानी पूर्णतः विफल प्रतीत हो रहा हैं।

आज इस राज्य में राष्ट्रप्रति शासन हैं और शासन की बागडोर महामहिम के कर कमलों में हैं। हब सबों को आपसे यह उम्मीद है कि जब तक इस राज्य की कमान आपके हाथों में रहेगी तब तक आपके निरंतर प्रयास से राज्य का चौतरफा विकास होगा जिसे हम सब देख भी रहे हैं। इसलिए आपसे हमसबों को यह उम्मीद जगी हैं कि आपके कार्यकाल में निश्चित रूप से टुण्डी के आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय से आप निजात दिलायेगें।

अपने इस पत्र के माध्यम से हब सभी आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहेगें कि अगर आपके द्वारा हम सबों को इस विषय वस्तु पर आदिवासियों को न्याय नहीं प्राप्त हुआ तो न्यायालय का दरबाजा खटखटाने हेतु हम बाध्य होगें।

हब सबों को आशा हीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इस विषयवस्तु को गंभीरता से लेगें और इस पर उचित विधि सम्मत कारवाई हेतु विभाग को उचित दिशा निर्देश देगें।

सधन्यवाद!

जगत महतो
जगत महतो
25-3-09

प्रतिलिपि :–

1. चैयरमैन बिजली विभाग, राँची।
2. महाप्रबंधक, बिजली विभाग, धनबाद।
3. उपायुक्त, धनबाद।

75
118

Office of the

ELECTRIC SUPPLY DIVISION GOVINDPUR

Electrification of Villages Left over Left over by Rites.

Block - Tundi District - Dhanbad

S.	Name of Village	P.S. No.	No. of pole Erected	No. of pole at Site	Volume of Work H.TKM	L.TKM	D/S/SKVA	Remarks
	Sarro	1	---	97	5.0	1.0	1 x 63	
1	Machhiyara	6	57		2.5	1.5	1 x 63	
2	Nawatand	7	49		1.5	1.7	1 x 63	
3	Tukipur	10		4	0.3	0.7	1 x 63	
4	Fatehpur	12	38	10	2.2	1.0	1 x 63	
5	Bhuski	14	42		1.7	1.5	1 x 63	
6	Dallugora	15	34		2.1	0.8	1 x 63	
7	Murhara	16	25		1.8	0.6	1 x 63	
8	Champur	18	15		0.8	0.9	1 x 63	
9	Karitand	29	34	7	2.2	0.6	1 x 63	
10	Topatand	46	10	1	0.7	0.6	1 x 63	
11	Chinapahari	58	31		1.3	0.8	1 x 63	
12	Khatjory	61	41		0.9	1.5	1 x 63	
13	Naro	81	31		1.3	0.5	1 x 63	
14	Baghmara	82	26	2	1.5	0.6	1 x 63	
15	Paharpur	90		35	1.5	0.4	1 x 63	
16	Jhamkal	83	35		2.0	0.5	1 x 63	
17	Bhagudih	89	19	11	1.0	1.0	1 x 63	
18	Jatudih	95	25		1.5	1.2	1 x 100	
19	Dubrajpur	99	12	8	1.0	0.5	1 x 63	
20	Salaiya	102	16	7	0.8	0.5	1 x 63	
21	Madhusala Alias Nimtand	103	45	3	6.0	1.0	1 x 63	
22	Madhusala Alis Katchira	104	29		1.5	0.5	1 x 63	
23	Kokarad	108	59	1	3.0	2.0	1 x 100	
24	Durgaraidih	109	53		2.2	2.0	1 x 100	
25	Bengharia	133	90		3.0	4.0	1 x 63	
26	Manghria	134		13	1.0	0.5	1 x 63	
27	Chunukdiha	135	25		1.0	0.8	1 x 63	
28	Deo pahar	136		31	0.5	1.5	1 x 63	
29	Naurangdih	141			0.4	2.0	1 x 63	
30	Suparo	143		43	2.2	0.5	1 x 63	
31	Salpahar	163	20	16	1.0	0.7	1 x 63	
32	Pawra	164	35		2.0	0.5	1 x 63	
33	Parbatpur	165	24		0.5	1.0	1 x 63	
34	Petro	168		38	0.8	0.5	1 x 63	
35	Hat Bhajudih	188		8	1.0	0.5	1 x 63	
36	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	1.0	1.5	1 x 63	
37	Paharpur	197	35	15	1.0	1.7	1 x 63	
38	Chhatani Pahari	198	27		1.0	0.5	1 x 63	
39	Kolahir	200	53		4.0	2.5	1 x 63	

P.T.O - 2

Name of Village	P.S. No.	No. of pole Erected	No. of pole at Site	Volume of Work H.TKM	L.TKM	D/S/SKVA	Remarks
Santhaldih	212	36		1.7	0.9	1 x 63	
Kurkutand	220		48	8	2.3	1 x 100	
Ramkanali	227	20	3	1.3	1.2	1 x 63	
Harlakol	228	29		1.0	1.1	1 x 63	
Ukama	229	55		2.5	2.3	1 x 100	
Dhaljory	234		40	5	1.0	1 x 63	
Rupudih	235	16	14	4	2.0	1 x 100	
Murardih	236	32	13	0.7	1.8	1 x 63	
Jamdiha	237	19	2	2	1.5	1 x 63	
Lahakera	238	56	4	3.5	1.5	1 x 63	
Ganwadih	239	24	16	2.4	1.7	1 x 63	
Phool Phari	240	32	18	2.5	2.0	2 x 63	
Churiatand	242	34	16	0.5	1.8	1 x 63	
Gethlkera	252	58	6	1.5	3.5	1 x 100	
Tesratand	259	27	13	1.0	1.0	1 x 63	
Pipratand	260	36	7	1.0	2.2	1 x 63	
Bartand	261	10	35	1.0	1.0	1 x 63	
Talkehal	262		31	4.2	2.3	1 x 100	
Dhanrangi	263		28	1.0	2.0	1 x 100	
Naodiha	265	39		1.2	2.0	1 x 100	
Rajamdih	267		22	1.0	1.5	1 x 63	
Barkatni	268	18	47	2.0	2.0	1 x 63	
Chakkutraidih	269		17	1.0	1.0	1 x 63	
Makratand	273		34	1.0	1.0	1 x 63	
Mohalidih	274	59	45	2.0	2.0	1 x 100	
Kesidih	281	4	42	1.0	1.0	1 x 63	
Gopinathpur	283		38	1.0	1.0	1 x 63	
Raghunathpur	286	68		3.5	2.2	1 x 63	
Ranjitpur	289	35	16	1.0	1.0	1 x 63	
Bhojpur	290	25	5	1.2	1.1	1 x 63	
Nutandih	291	22	3	1.3	1.0	1 x 63	
Ghosaldih	280	19	6	1.2	1.1	1 x 63	

P.T.O.

737
17

NO. 13725 ELECTRIC CONSUMPTION BILL BILL DT. 11.09.2006

JHARKHAND STATE ELECTRICITY BOARD

GOVINDPUR DUE DT. 27.09.2006

MONTH 08'06			ENERGY/MINI CHARGES	FIX/MISC CHARGES	METER RENT
UNITS CONSUMED					
PRESENT	PAST	NET		65.00	
ELEC DUTY	P.F.S CH	F.S CH	D.P.S.	TOTAL ASSESSMENT	
6.50			5.80	77.30	
ARREAR C/D	GRAND TOTAL		REBATE	NET DEMAND/ROUND OFF	
290.00	367.00		1.00	366.00	

TMD02409

CONSUMER NO. RDS
CONNECTED LOAD 1
NAME BHUSHAN MOHALI
ADDRESS S/O KHESHMI

E. & O.E.
SIGN & SEAL OF AEE

NO 13009 ELECTRIC CONSUMPTION BILL BILL DT. 10.10.2006

JHARKHAND STATE ELECTRICITY BOARD

MONTH 09'06 GOVINDPUR DUE DT 27.10.2006

UNITS CONSUMED PRESENT	UNITS CONSUMED PAST	UNITS CONSUMED NET	ENERGY/MIN CHARGES	FIX/MISC CHARGES	METER RENT
				65.00	

ELEC DUTY	P.F.S.CH	F.S CH	D.P.S	TOTAL ASSESSMENT
6.50			7.22	78.72

ARREAR C/O	GRAND TOTAL	REBATE	NET DEMAND ROUND OFF
367.00	446.00	1.00	445.00

CONSUMER NO. : RDS TMD02409

CONNECTED LOAD - 1

NAME BHUSHAN MOHALI

S/O

ADDRESS KHESHMI

E.G.C.E

SIGN. E.LOAL C-NE

72

...लागू कर दिया जाय तो कौम का कल्याण हो जायेगा. यह बातें सोमवार को टाउन हॉल में अदारा-ए-शरीया और इमारत-ए-शरीया के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए इमारत-ए-शरीया के नाजिम-ए-आला मौलाना

* अदारा-ए-शरीया व इमारत-ए-शरीया समेत 37 मुस्लिम संगठनों की बैठक

कुतुबुद्दीन ने कही. उन्होंने कहा कि कर्नाटक की तरह झारखंड समेत अन्य प्रदेशों में भी मुसलमानों का आरक्षण लागू किया जाना चाहिए. मंडल कमीशन को और भी पारदर्शी करने की जरूरत है. इसमें मुसलिम को अनुसूचित जाति में स्थान ही नहीं दिया गया है. जबकि मुसलमानों में भी धोबी, धुइंया, मोची जैसी दलित जातियां हैं. मौलाना ने कहा कि पहली दफा झारखंड में अदारा-ए-शरीया और इमारत-ए-शरीया सहित कुल 37 संगठन एक मंच पर आये हैं. इसके बाद रांची में बैठक होगी. इसमें आगामी चुनाव में इस कौम को किधर वोट करें इसका निर्णय लिया जायेगा. जो सियासी पार्टियां मुसलमानों को वाजिब और जायज हक देगी, उसी को वोट दिया जायेगा. सेकुलरिज्म के नाम पर सभी पार्टियां मुसलमानों को वोट बैंक समझती रही हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी होकर भी कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया. जितना विभिन्न प्रदेशों की क्षेत्रीय पार्टी अमूमी तौर कांग्रेस सेक्युलर पार्टी नहीं है. वही भाजपा के मुसलिम नेता मुसलमीन होते हुए सांप्रदायिक हैं. सम्मेलन में सैयद नुरूल ऐन, मौलाना अब्दुल मुबीन रिजवी, बशीर अहमद, इमरान अंसारी, कारी बरकत, शहाब अख्तर, अब्दुल हमीद, मौलाना इस्माइल, कारी नूर आलम, मौलाना अब्दुर्रशीद सहित अन्य लोगों ने भी विचार रखे.

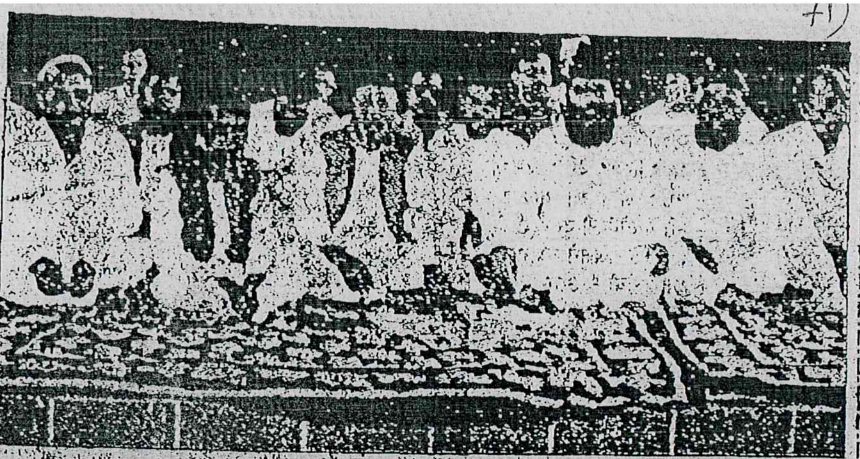

मजहब से ऊपर उठकर धनबाद सहित देश के विकास के लिए काम करेगा, उसी को लोक सभा चुनाव में मुसलिम पीस सोसाइटी अपना समर्थन करेगी. यह निर्णय सोमवार को झरिया स्थित श्रीराम लाज में

* मुसलिम पीस सोसाइटी की बैठक

एमपीएस की बैठक में लिया गया. सोसाइटी के संस्थापक अब्दुल करीम अंसारी ने इसके लिए 15 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है. श्री अंसारी ने कहा कि धनबाद जिला में एमपीएस के 26 हजार सक्रिय सदस्य है. बैठक की अध्यक्षता रूस्तम अंसारी ने की, संचालन मो शोएब ने किया. इस दौरान वरुण गांधी द्वारा मुसलिम के प्रति दिये गये बयान की निंदा भी की गयी. बैठक में इजहार हुसैन, अख्तर अंसारी, अबु सईद, इनुस आलम, हलीम अंसारी, शेख शहाबुद्दीन, कमर आलम, शेख मेराजुद्दीन, अ...

बलियापुर में जनसंपर्क अभियान तेज

बलियापुर. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है. जगह-जगह बैठकें हो रही हैं. 24 मार्च को होनेवाले बलियापुर में भाजपा प्रत्याशी पीएन सिंह के रोड शो को लेकर एक बैठक तिलकधारी सिंह की अध्यक्षता में हुई. बैठक में सतलाल प्रमाणिक, [illegible] सिंह आदि शामिल थे. झाविमो प्रत्याशी फूलचंद मंडल के पक्ष में झाविमो के [illegible], धनश्याम [illegible], सुबल गोराई, गुहीराम पाल ने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया. मासस प्रत्याशी एके राय को जीताने के लिए मासस कार्यालय में समदलों की एक बैठक [illegible] की अध्यक्षता में हुई. बैठक में चुनाव संचालन समिति गठित की गयी. समिति के संयोजक गणेश महतो के अलावा, सदस्यों में [illegible] महतो, अभय पद कर, श्यामापद [illegible], सुबल मल्लिक, जनार्दन हरिजन, सकरूद्दीन अंसारी, [illegible] आदि शामिल थे. कुसमाटांड मोड़ पर युवा कांग्रेस की एक बैठक मधु सूदन [illegible] की अध्यक्षता में हुई. बैठक में कांग्रेस को जिताने का संकल्प लिया गया. प्रत्येक पंचायत में युवा कांग्रेस [illegible] का निर्णय लिया. बैठक में चिंटु महतो, गणेश हरिजन, [illegible] आदि शामिल थे. सपा प्रखंड अध्यक्ष अकरम अंसारी ने सपा प्रत्याशी हफिजुद्दीन अंसारी के पक्ष में सिंदरी, [illegible], नियामतपुर, दुमरिया आदि गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया. उनके साथ नंदजी, हबीब अंसारी, सुधीर गोप, [illegible] अंसारी आदि थे.

टुंडी में बिजली के नाम पर क्या-क्या नहीं हुए खेल !

टुंडी

प्रतिनिधि

टुंडी के रामपुर पंचायत अंतर्गत खेसमी टोला व चुररियाटांड के ग्रामीणों ने 'बिजली नहीं तो वोट नहीं' का ऐलान किया है. ग्रामीणों ने कहा कि अभी तक चुररियाटांड में अब तक बिजली नहीं पहुंची है और 2008 से ही बिजली बिल आ रहा है. ग्रामीण भूषण महतो ने बताया कि उनके घर में कभी बिजली नहीं जली, और बिजली विभाग वर्ष 2008 से बिल भेज रहा है. महेन्द्र तुरी ने बताया कि उनके घर में 2009 से बिजली बिल आ रहा है. अब तक 2407 रुपया बिल बिल आ चुका है. गांव में मात्र पोल लगा है और उसमें तार तक नहीं लगा है. फिर भी बिल आ रहा है. झामुमो नेता जगत महतो व मुनुलाल मुर्मू ने कहा कि इसके खिलाफ हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज की जायेगी. इस अवसर पर सदन मुर्मू, छोटे बास्की, बाबुजन मियां, भोलानाथ बास्की आदि ग्रामीण उपस्थित थे. इधर कार्यपालक अभियंता राम उदगार महतो ने कहा है कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है. मामले की जांच की जायेगी. उन्होंने कहा कि 100 गांव में डीवीसी द्वारा बिजली लगायी जा रही है. संभवत: मीटर भी लगा होगा और इसकी सूचना बिजली विभाग को दी गयी है. इसलिए बिल आ रहा होगा. जांच करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. टुंडी में 71 गांव में बिजली का पोल लगाया है. राइज कंपनी वहां काम कर रही थी. मामला कोर्ट में है. कोर्ट के निर्णय के बाद ही टुंडी के 71 गांवों में बिजली का काम पूरा हो पायेगा.

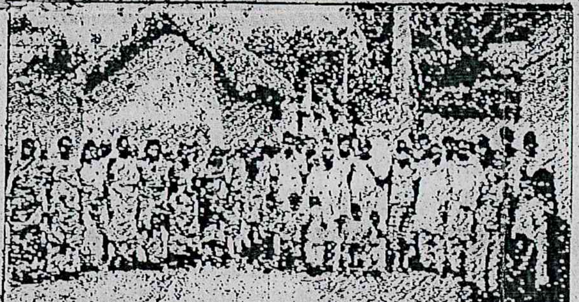

रामविलास सुपरस्ट...

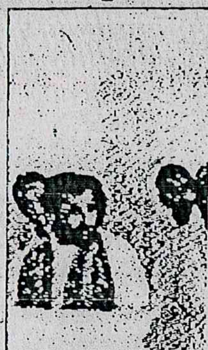

धनबाद

वरीय संवाददाता

लो... जपा प्रत्याशी वीरेंद्र... सोमवार को कहा...

भाजपा [illegible] ... पीएन सिंह ने किया रोड शो ... [illegible] ... स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशी को समर्थन दें : प्रजापति

प्रभात खबर 24/3/2009.

Secretary, Energy — प्रमुख सचिव — 115

आदरणीय राज्यपाल महोदय,

सादर प्रणाम — 20.02.09

विषय :- झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड में सहायक विद्युत अभियंता / सहायक कार्यपालक अभियंता के साक्षात्कार (Interview) में अव्यवहारिक अंक देकर चयन से वंचित किये जाने के संबंध में जबकि लिखित परीक्षा में Higher order of merit प्राप्त हो

मान्यवर,

मैं राहुल कुमार Roll code J081471 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के साक्षात्कार के लिए उपलब्ध हुआ। मेरा लिखित परीक्षा में चयन Higher order of Merit में हुआ था जबकि साक्षात्कार में अव्यवहारिक अंक देकर मुझे चयन से वंचित किया गया है जबकि मेरा साक्षात्कार औसत से अच्छा हुआ है। गलतियाँ बोर्ड स्तर पर हो सकती है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आप लिखित और साक्षात्कार के अंक अलग-2 मंगवाकर देख लें, यथास्थिति स्पष्ट हो जायेगी। मैं केवल अपने चयन न होने वास्तुस्थिति से अवगत करा रहा हूँ।

महाशय, मैं समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिसकी जिन्दगी फूल को सींचते और बेचते हुए ही बीत जाती है। वास्तुस्थिति को देखते हुए मुझे आपसे सहयोग की आशा है, ऐसा नहीं है कि मुझे J.S.E.B. में चयन नहीं हुआ तो मेरे लिए अवसर खत्म हो गए पर J.S.E.B. का कार्यक्षेत्र कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं हमेशा सोचा करता हूँ। झारखंड कुछ दिनों में Excess Power Production state हो जायेगा क्योंकि विश्वविख्यात Coal Blocks होने से यह राज्य thermal Power hub के रूप में विकसित हो जायेगा जिससे मेरा सपना 'बिजली से सभ्यता के द्वार खोलो' को पूरा करने में आसानी होगी जिसमें मैं अल्पसंख्यकों और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना चाहता हूँ। और झारखंड को विकास की चमक-दमक electricity से दिखानी है।

विश्वास भाजक
राहुल कुमार

संलग्नक :-

689

XLRI Jamshedpur
School of Business & Human Resources

C H Area (East)
Jamshedpur 831 001
India

December 24, 2008

To

Rahul Kumar
At: New Ganga Sagar Colony
PO: Bhowara
Near Ram Chowk, Madhubani - 847212Bihar

Sub: Interviews for the post of Assistant Executive Engineer (G.T.O), Assistant Electrical Engineer (General & I.T.) in Jharkhand State Electricity Board.

Dear Rahul Kumar

Congratulations! You have been short listed as one of the candidates for the interview based on the performance in the written test.

Please note that your eligibility to appear for interview is subject to verification of all original certificates such as prescribed qualification, age proof, OBC/SC/ST status (original) certificates.

Kindly note the date, place and time of your interview as given below:

JSEB ROLL NO.	: **J081471**	POST CODE	: **A-2**
INTERVIEW DATE	: **28th-Jan-09**	INTERVIEW TIME	: **9:30AM**
INTERVIEW VENUE:	**Centre for Small Scale Enterprise** **MDP Residence, XLRI Jamshedpur** **Circuit House Area (East)** **Jamshedpur– 831 001**		

You are required to bring the following documents for verification

1. Prescribed qualification (B.E./B.Tech./B.Sc. Engg/AMIE etc.) certificates
2. Age Proof
3. Caste certificate (if you belong to reserved category)

You will be allowed to attend interview if you could present all required certificates in original.

Please make sure that you are at the Interview Center at least 30 minutes before your scheduled time for verification of your certificates/credentials.

We would like to inform you that we will not be able to accommodate any changes in the schedule and therefore request you not to ask for any changes.

No TA/DA will be paid for attending the interview.

Wishing you the very Best.

Recruitment Coordinator
XLRI Jamshedpur- 831 001

प्रमुख सचिव 68 354 14

सेवा में

श्री सैयद सिब्ते रजी
महामहिम राज्यपाल
झारखंड सरकार, राँची

16/5/9

विषय : झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड, सामान्य प्रशासन विभाग नियोजन सूचना - संख्या 01/2008 के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक निवेदन पूर्वक कहना है कि कुछ अभ्यार्थियों के लिए डी॰बी॰एम॰एस॰, इंगलिस हाई स्कूल, कदमा, जमशेदपुर - मे होने वाले उपर वर्णित लिखित परीक्षा को MANAGE किया गया था। वैसे अभ्यार्थियों को सफल घोषित भी किया जा चुका है। विपिन कुमार इलेक्ट्रोनिक एण्ड कम्यूनिकेशन पटना बिहार सामान्य कोटि आदि।

सामाचार पत्र के माध्यम से "आयुष डॉक्टर नियुक्ति" घोटाले में महामहिम की कारवाई की खबर पढ़कर सूचित करने एवं न्याय पाने की हिम्मत जुटा पाए है।

विश्वासभाजन
एक अभ्यार्थी

Secy Energy
25/4/08

→ XLRI को सूचना हेतु

2nd REMINDER Registered · Post 67) JSR (12

प्रमुख सचिव

DS 19. 02. 09

Secretary, Energy

श्री मान महाप्रबन्धक
झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, जमशेदपुर 28/2
विषय :- 50,000 रू० का बिजली प्रत्येक महीना में खुलेआम चोरी के सम्बन्ध में।
महाशय,

सेवा में . सविनय निवेदन यह है कि हम लोग राखा कॉपर प्रोजेक्ट के Ex-Employ है तथा इस Township में लगभग 35 वर्षों से रह रहे है। जब कम्पनी बन्द हो गया तो हम लोग V.R दे दिये। कम्पनी बन्द होने के समय Company हम लोगों से 50,000/ और officer से 100000/रू० काट कर रख लिया तथा बोला कि आप लोगों को जो जो quarter है, उसको long term lease पर दिया जाएगा। इसी कारण से हम लोग Ex-Employ पैरवी करके बिजली बिजली विभाग से अपने अपने नाम पर मीटर लगवा लिए है, तथा बिजली का बिल हर महीना दे रहे है।

लेकिन महाशय बड़े दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि इस colony में लगभग 50-60 quarter में बाहर से आदमी आ कर रहने लगा है तथा बिजली फ्री में जला रहा है। यहाँ तक की एक परिवार में दो-दो हीटर जल रहा है। इससे सरकार को लगभग 50000/रू० महीना का नुकसान हो रहा है। लोग खुलेआम बिजली का चोरी कर रहे है। इस लिए इसकी जाँच आप अपने level से कराने का कृपा करें। तथा इसकी उचित कारवाई कराने का प्रबन्ध करें।

आपका विश्वासी

✓ प्रति लीपी :- महामहिम राज्यपाल झारखण्ड सरकार, राँची
प्रति लीपी :- एस० डी० ओ०, जे० एस० ई० बी०, जादुगोड़ा
नोट :-

(1) कमलेश्वर प्र० राय
(2) हाराधन राणा
(3) दयानिधी नायक
(4) निताई राय
(5) [illegible]
(6) परशुराम मिश्र
(7) श्रीमती बी० देवी
(8) शिव बहादुर [illegible]
(9) रामा [illegible] महतो
(10) Ganga Sharma
(11) ANIL DAS
(12) D. C. Bhakat
(13) [illegible]

15. नकुल ठकाठ
16 S. P. Roy
17 Sugrip Chowdhari
18 Uma Shankar Pathak
19. आनन्द सोरेन.
20, Cumesh Murmu
21. परसुराम मंज
22. Bhagwan Prasad.
23. पारापुर हेम्ब्रम.
24. Heeraman Yadav.
25. B.L.Dass.
26. किरन शर्मा
27. रामजी प्रसाद
28. टि. के. राय.
29. A.K. Khan.
30. आनन्द मन चन्द्र
31, मनोरंजन महतो.
32. S.P. Mahato
33. P.R Soren.
34. Smt. Mamta Mishra
34, मोहन गुप्ता.
35, मुन मोहम्मद
36. Kanai Soren.
37 Bhuglu Murmu
38 मुगल सोरेन.
39 D.P. Singh.
40. R.S. Pandey.

DP (65)

पंजियन संख्या 15/2001

झारखण्ड विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ

12

प्रधान कार्यालय : कुसई कॉलोनी, डोरण्डा, राँची (झारखण्ड)

अध्यक्ष
कन्हैया सिंह
दूरभाष : 2491569
मो0 : 9835582790

कार्यकारी अध्यक्ष
लुईस टोपनो
मो0 : 9835540003

महामंत्री
रजनी कुमार महतो
दूरभाष : 2543648
मो0 : 9304807464

उप महामंत्री
मुकुन्द प्रसाद शाही
मो0 : 9835107203
कार्तिक प्रसाद साह
मो0 : 9931060669
आर0 के0 सिंह
मो0 : 9431370304

कोषाध्यक्ष
गदाधर चक्रवर्ती
मो0 : 9835320718

पत्रांक : 29 Secretary, Energy प्रमुख सचिव — दिनांक : 9.5.09

To Chairman JSEB

सेवा में,
अध्यक्ष,
झा0रा0वि0बोर्ड, राँची

DS

विषयः प्रोन्नति में अनियमितता के विरूद्ध

महाशय,

झा0रा0वि0बोर्ड में कार्यरत कार्यालय अधीक्षको जिनमें लगभग सभी आदिवासी, एस0टी0 एवं एस0सी0 के लोग ही है 06.11.98 से विभिन्न कार्यालय में कार्यरत है। उनमें कुछ बोर्ड मुख्यालय में भी कार्यरत है। एकीकृत बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना का का0 आदेश संख्या 5018 SCND 57/109 दिनांक 29.10.98 (छायाप्रति संलग्न-1) जो आजतक प्रोन्नति से वंचित है। कितने कार्यालय अधीक्षक झा0रा0वि0बोर्ड में कार्यरत है यह भी जानकारी झा0रा0वि0बोर्ड मुख्यालय को नहीं है। (कार्मिक निदेशक का पत्रांक 2497 दिनांक 10.10.07 छाया प्रति संलग्न-2) इतना ही नहीं कार्मिक निदेशक का पत्रांक 298 दिनांक 05.02.09 जो सचिव, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना को लिखा गया है का अन्तिम पारा देखा जाय। जो इनकी मंशा को दर्शाता है। (छायाप्रति संलग्न-3) इन्हें आजतक प्रशाखा पदाधिकारी नहीं बनाया गया। बि0रा0वि0बोड, पटना द्वारा प्रोन्नति देने हेतु जो कालावधि निर्धारित किया है का अवलोकन किया जाय। (छाया प्रति संलग्न-4) यह सपष्ट करता है कि प्रशाखा पदाधिकारी एवं कार्यालय अधीक्षक जो सबसे सुयोग्य व्यक्ति पाए जाए उन्हीं को वरीयता का ख्याल रखते हुए प्रशाखा पदाधिकारी पर प्रोन्नति दी जाय। इसे भी नकार दिया गया। दूसरी ओर इनसे कनीय उच्चवर्गीय सहायक को प्रशाखा पदाधिकारी चालु प्रभार बनाया गया (छायाप्रति संलग्न-5) पुनः उन्हें 01.08.07 के तत्क्षण प्रभाव से प्रशाखा पदाधिकारी बना दिया गया (छायाप्रति संलग्न-6) एवं पुनः उन्हें एक वर्ष पाँच माह तेईस दिनों में ही तत्क्षण प्रभाव से प्रशासी पदाधिकारी बना दिया गया। (छायाप्रति संलग्न-7)

62

पंजियन संख्या 1 2001

झारखण्ड विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ

प्रधान कार्यालय : कुसई कॉलोनी, डोरण्डा, राँची (झारखण्ड)

अध्यक्ष
कन्हैया सिंह
दूरभाष : 2491569
मो0 : 9835582790

कार्यकारी अध्यक्ष
लुईस टोपनो
मो0 : 9835540003

महामंत्री
रजनी कुमार महतो
दूरभाष : 2543648
मो0 : 9304807464

उप महामंत्री
मुकुन्द प्रसाद शाही
मो0 : 9835107203

कार्तिक प्रसाद साह
मो0 : 9931060669

आर0 के0 सिंह
मो0 : 9431370304

कोषाध्यक्ष
गदाधर चक्रवर्ती
मो0 : 9835320718

पत्रांक :

दिनांक :

इसे स्पष्ठ करने के लिए एक चार्ट आपके सुलभ प्रसंग हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ कृपया अवलोकन दिया जाय।

निम्नवर्गीय सहायक	पत्राचार लिपिक
नियुक्ति की तिथि- 15.09.82	नियुक्ति की तिथि - 08.04.78
उच्चवर्गीय सहायक में प्रोन्नति- 16.01.93	प्रधान लिपिक में प्रोन्नति- 16.08.88
चालुप्रभार प्रशाखा पदाधिकारी- 14.12.08	का0अधी0 में प्रोन्नति- 06.11.98
प्रशाखा पदाधिकारी तत्क्षण प्रभाव- 01.08.07	
प्रशासी पदाधिकारी में प्रोन्नति- 24.01.09	अब तक कार्यालय अधीक्षक

प्रधान लिपिक एवं उच्चवर्गीय सहायक समानांतर पद है। कार्यालय अधीक्षक वरीय पद है। इसके वावजूद कार्यालय अधीक्षक 06.11.98 से होने के वावजूद उन्हें प्रोन्नति से वंचित रखा गया एवं वही 16.01.93 उच्चवर्गीय को लगातार कालावधि को दर किनार कर प्रोन्नति दी गई। इस प्रकार आदिवासियों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति से वंचित रखा गया। इस प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंव आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अविलम्ब इसकी जॉच कराई जाए एवं कार्यालय अधीक्षक को वरीयता के आधार पर प्रोन्नति दी जाय।

आपका विश्वासी

sd
(अमलेन्दु शरण)
केन्द्रीय मंत्री

प्रतिलिपि : सचिव, झा0रा0वि0बोर्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित।

sd
(अमलेन्दु शरण)
केन्द्रीय मंत्री

प्रतिलिपि : महामहीम राज्यपाल, झारखण्ड राज्य, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित।

Amlendu Sharan
(अमलेन्दु शरण)
केन्द्रीय मंत्री

ANNX - F (64) (11)

BIHAR STATE ELECTRICITY BOARD:PATNA
(DEPARTMENT OF GENERAL ADMINISTRATION)

Office order no. 5018 / Patna, dated, the 29-10-
XIII/Prom-3602/98

The following Head Clerks are promoted to the post of office Superintendant in the scale of pay of Rs. 1650-55-2200-60-3040/- from the date of joining on the post of Office Superintendant at new place of posting and posted at the places mentioned against their names:-

Sl. No.	Name & present place of posting.	Place of posting on Promotion.
1.	2.	3.
1.	Shri Narendra Jha, Elecl. Circle, Motihari.	Tirhut Area Board, Muzaffar
2.	" Shyam Kishore Choudhary Elecl. Circle, Munger.	Area Board, Bhagalpur.
3.	" Ganesh Pd. Choudhary Elecl. Circle, Deoghar.	-do-
4.	" Ram Kishore Pd. Sinha Supply Division, Gaya(E).	Area Board, Patna.
5.	" Baikunth Pd. Singh Supply Division, Giridih.	Area Board, Dhanbad.
6.	" Shashi Bhushan Pd. Trans. Zone. Ranchi.	Trans. Zone. Ranchi.
7.	" Sidh Nath Mishra Elecl. Circle, Ranchi.	Area Board, Ranchi.
8.	" Umeshwar Pd. Sharma Supply Sub-division, Forbisganj.	Area Board, Saharsa.
9.	" Sheo Kumar Sinha M.R.T. Gaya.	Area Board, Patna.
10.	" Jawahar Pd. Mehta PESU.	C.E., PESU.
11.	" Chandeshwar Singh Supply Sub-division, Nawadah.	Area Board, Patna.
12.	" Lokman Khan Supply Sub-division, Hirapur.	Area Board, Dhanbad.
13.	" Tilak Narain Choudhary Supply Divn., Bhagalpur.	Area Board, Bhagalpur.
14.	" [illegible] [illegible], Gaya(E).	Area Board, Patna.

(6)

1.	2.	3.
15.	Sri Gaya Prasad Sinha Elecl.Circle,Patna.	Area Board,Patna.
16.	Sri B.P.Thakur Elecl.Circle,Bhagalpur.	Area Board,Bhagalpur.
17.	" Ishwari Dutta Dubey Area Board,Muzaffarpur.	Area Board,Muzaffarpur.
18.	" Sahdeo Singh B.T.P.S.	B.T.P.S.
19.	" Ganesh Pd.Singh Trans.Sub-division,Patna.	Trans.Zone,Gaya.
20.	" Mani Mohan Pd.Sinha Trans.Div.,Samastipur.	Trans.Zone,Muzaffarpur.
21.	" Dineshwar Singh Supply Sub-division,Patna.	Area Board,Patna.
22.	" D.N.Vishwakarma Elecl.Circle,Gaya(F).	Area Board,Patna.
23.	Sri Ashwani Kr.Puriyar Supply Division,Aurangabad.	Area Board,Patna.
24.	" Jankdhari Pd.Sinha (PESU) (W)	C.E., PESU.
25.	" Balmukund Singh Supply Divisiin,Gaya.	Area Board,Patna.
26.	" Jai Nandan Prasad PESU(W).	C.E.(PESU)
27.	" Nand Kishore Pd. S.S.Div.,New Gachhia.	Area Board,Saharsa.
28.	" B.B.P.Srivastava D.T.P.S.	Trans.Zone,Muzaffarpur.
29.	" Vidya Sagar Singh Trans.Circle,Patna.	Trans.Zone,Gaya.
30.	" Balram Pandey S.S.Div.,Brahmpur.	Area Board,Patna.
31.	" Chandra Kishore Thakur S.Div.,Sahebganj	Area Board,Bhagalpur.
32.	" Sachida Nand Sinha Supply Division,Barh.	Area Board,Patna.
33.	" Ram Chandra Pd.Thakur M.R.T.Muzaffarpur.	Area Board,Muzaffarpur.
34.	" Ramgati Singh S.S.Div.,Navinagar.	Area Board,Patna.
35.	" [illegible] ire [illegible] sion,S[illegible]	Area Board,Bhagalpur.

1.	2.	3.
36.	Sri Surendra Kr.Verma M.R.T.Gaya.	Area Board,Patna.
37.	Sri Sulaman Khan S.S.D.Sasaram.	Area Board,Patna.
38.	" Krishna Pd.Sinha Elect.Circle,Gaya.	Area Board,Patna.
39.	" Ram Nandan Pd.Sinha Area Board,Patna.	Area Board,Patna.
40.	" Jamuna Singh Trans.Division,Gaya.	Trans.Zone.Gaya.
41.	" Abdul Wahid M.R.T.Bhagalpur.	Area Board,Bhagalpur.
42.	" Sachida Nand Pd.Sinha S.S.Div.,Mahnar.	Area Board,Muzaffarpur.
43.	" Braj Nandan Pd. S.Div.,Begusarai.	Area Board,Darbhanga.
44.	" Nawal Kishore Pd. Trans.Jamshedpur.	Trans.Zone,Ranchi.
45.	" Sidh Nath Pd. S.Division,Lohardagga.	Area Board,Ranchi. X
46.	" Braj Kishore Pd.Singh Trans.Div.,Hathidah.	Trans.Zone,Gaya.
47.	" Mahesh Kant Jha P.T.P.S.	P.T.P.S.
48.	" Chandrika Mistry P.T.P.S.	P.T.P.S.
49.	" Ram Ranjan Thakur P.T.P.S.	P.T.P.S.
50.	" Md. Siddique S.S.Division,Siwan.	Area Board,Muzaffarpur.
51.	" Satya Narain Jha Trans.Muzaffarpur.	Trans.Zone,Muzaffarpur.
52.	" Yugal Kishore Pd. PESU.	C.E.(PESU).
53.	" Uma Shanker Pd. B.T.P.S.	Trans.Zone,Muzaffarpur.
54.	" Rama Shanker Pd.Sinha S.S.Division,Hazipur.	Area Board,Muzaffarpur.
55.	" Chiranjivi Mishra Trans Sub-divn.,Jamui.	C.E.(PESU)
56.	" [illegible] Kishore Pd.Sinha [illegible] Gaya.	C.E.(PESU)

1.	2.	3.
57.	Sri Kapildeo Singh Grid Op. S.Div.,Gaya	C.E.(PESU)
58.	" Md. Shamim Ahmad Civil Sub-division,Arrah.	Area Board,Patna.
59.	" Nawal Kishore Singh'Viri' S.S.Division,Bukhtiyarpur.	Area Board,Patna.
60.	" Ghanshyam Sharma S.S.Division,Mokama.	Area Board,Patna.
61.	" Alakh Singh Elecl.Circle,Patna.	Area Board,Patna.
62.	" Baliram Singh S.S.Division,Makhdumpur.	Area Board,Patna.
63.	" Shambhu Sharan Pd. Elecl.Circle,Gaya(E)	Area Board,Patna.
64.	" Sheo Nath Pd.Singh Elecl.Circle,Jamshedpur.	Area Board,Ranchi.
65.	" Lala Surendra Pd. S.S.Division,Kanke.	Area Board,Ranchi.
66.	" Doma Prasad Gupta Supply Division,Giridih.	Area Board,Dhanbad.
67.	" Abdul Rahim B.T.P.S.	Trans.Zone,Muzaffarpur.
68.	" Mani Bhushan Pd. Elecl.Circle,Ranchi.	Area Board,Ranchi.
69.	" Sri Madan Mohan Lal S.S.Division,Arrah.	Area Board,Patna.
70.	" Shyam Narain Mahto Trans.Division,Hazaribag	Trans Zone,Ranchi.
71.	" Madhu Sudan Choubey S.S.Division,Bodh Gaya.	Area Board,Patna.
72.	" Ram Nandan Singh S.Division,Muzaffarpur.	Area Board,Muzaffarpur.
73.	" Prem Shanker Pd. S.S.Division,Betiah.	Area Board,Muzaffarpur.
74.	" Sarju Pd.Singh S.Division,Nawadah.	Area Board,Patna.
75.	" Giridhar Gopal S.S.Division,Hisuwa.	Area Board,Patna.
76.	" Bhagwat Pd. P.T.P.S.	P.T.P.S.
77.	" [illegible] Kr.Singh [illegible]	Area Board,Patna.

1.	2.	3.
78.	Sri Madan Prasad Trans.Zone,Gaya.	C.E.(PESU)
79.	" Avadh Kishore Pd. Area Board,Bhagalpur.	Area Board,Bhagalpur.
80.	" Kameshwar Jha B.T.P.S.	Trans. Zone,Muzaffarpur.
81.	" Shyam Bihari Singh. Telecom.Circle,Patna.	C.E.(PESU).
82.	" Jamuna Singh S.E.D.Wazirganj.	Area Board,Patna.
83.	" Anandi Paswan(S/C) S.S.D.Rosera.	Area Board,Darbhanga.
84.	" Arjun Choudhary(S/C) Area Board,Patna.	C.E.(PESU)
85.	" Gaya Ram(S/C) S.Division,Sasaram.	C.E.(PESU).
86.	" Choudhary Baitha(S/C) Central Store,Hazipur.	Area Board,Muzaffarpur.
87.	" K.N.Paswan(S/C) B.T.P.S.	Trans.Zone,Muzaffarpur.
88.	" Sarwan Kumar(S/C) B.T.P.S.	C.E.(PESU)
89.	" K.N.Rajak(S/C) B.T.P.S.	C.E.(PESU).
90.	" Phani Bhushan Choudhary(S/C) Central Store,Bhagalpur.	Area Board,Bhagalpur.
91.	" Bishwanath Paswan(S/C) R.E. Board's Hqrs.	C.E.(PESU).
92.	" Nandu Choudhary(S/C) S.Division,Biharshariff.	C.E.(PESU).
93.	" Ram Chandra Choudhary (S/C) Supply Division,Hasanpur.	Area Board,Darbhanga.
94.	" Mahendra Chunihara(S/C) S.E.D.Bhagalpur	Trans.Zone,Muzaffarpur.
95.	" Rabindra Choudhary(S/C) S.S.Division,Bachhwara.	Area Board,Darbhanga.
96.	" Harifan Choudhary(S/C) P.T.P.S.	P.T.P.S.
97.	" Suchit Kumar Tigga(S.T.) S.Division,Ormanjhi.	Area Board,Ranchi.
98.	" Smt. Hemlata [illegible] (S.T) Trans.Zone,Ranchi.	Trans.Zone.Ranchi.

1.	2.	3.
99.	Sri Nelsen Tigga(S.T.) Central Store,Ranchi.	Area Board,Ranchi.
100.	Smt. Bishwashi Dodra(S.T.) Revenue Division,Ranchi.	-do-
101.	" Shanti Rani Tirkey(S.T.) Revenue Division,Ranchi.	-do-
102.	" Miss Behalen Ayand(S.T.) P.T.P.S.	P.T.P.S.
103.	Sri P.C. Bara(S.T.) P.T.P.S.	P.T.P.S.
104.	" A Guria(S.T.) S.Division,Ranchi.	Area Board,Ranchi.
105.	" Pitersen Topno(S.T.) S.S.D.Torpa	-do-
106.	" Soreng Kendulna(S.T.) S.S.Div.,Tati Silwe.	-do-
107.	" Rusan Guria(S.T.) S.S.Division,Kokar.	-do-
108.	" Ashaf Guria(S.T.) S.S.Division,Kunti.	-do-
109.	Sri Mati Binko Tigga(S.T.) Elecl.Circle,Ranchi.	Area Board,Ranchi.

1. The Head Clerk who are in super Selection Grade on compleation of 20/18 years of Service on a post and are presently in the scale of pay of Rs. 1760-60-2300-75-3500/- are allowed to retain the above scale of pay and will continue to draw the above scale from the date, they have been allowed Super Selection Grade.

2. If departmental proceeding/court case is pending against any of the above Head Clerks and noticed later on, the order of Promotion in respect of such Head Clerk/Head Clerks will be withdrawn with retrospective effect.

3. The promotion of Head Clerks belongs to S.C. and S.T. from Sl.no. 83 to 109 is provisional subject to finalisation of gradation list. If on finalisation of gradation list any one is found Junior to other un-promoted S.C./S.T. H.C. his promotion will be cancelled with restrospective effect.

(S. Mukherjee)
Joint Secretary.

58)

8

Memo No. 2671 / Dated, the 29.10.98

Copy forwarded to General Manager, P.T.P.S./All General Manager-cum-Chief Engineer/Project/Transmission/Area Boards/Chief Engineer(PESU) Chief Engineer(RE)/ General Manager-cum-Chief Engineer(Telecom)/All Financial Controller/ All Electrical Superintending Engineers/All Dy.Director of Personnel/All Elecl.Executive Engineers/All Accounts Officers/All Personeel Officers/All concerned persons for informations and necessary action.

2. All General Manggr cum-Chief Engineers/Chief Engineers are requested to post the concerned in-cumbents against the vacant post of Office Superintendant in their jurisdiction.

They are requested to ensure that after promotion the Office of the above promotee office suptd. is changed.

They are also requested to send a copy of posting order of the above promotee for the record at Board's Headquarters.

(S. Mukherjee)
Joint Secretary.

R01
29.10

ANX-2

57) 7

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड

अभियंत्रण भवन, एच. इ. सी. धुर्वा,
राँची – 834004
(कार्मिक विभाग)

पत्रांक 2497 दिनांक 10.10.07

संचिका सख्या – IX/ कार्मिक/ नि0 सं0 – 1076/ 06

प्रेषक:

योगेन्द्र प्रसाद रजक,
कार्मिक निदेशक।

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
पतरातू वाष्प/शक्ति प्रतिष्ठान, पतरातू।

महाप्रबन्धक सह मुख्य अभियंता,
विद्युत आपूर्ति क्षेत्र,
राँची/ मेदिनीनगर/ हजारीबाग/ जमशेदपुर/ धनबाद/ दुमका।

महाप्रबन्धक सह मुख्य अभियंता,
संचरण प्रक्षेत्र–1, राँची/ संचरण प्रक्षेत्र–2, दुमका/ संचरण प्रक्षेत्र–3, जमशेदपुर।

विषय: कार्यालय अधीक्षकों की कार्यरत बल की सूची उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के अधीनस्थ कार्यालय अधीक्षकों की सूचना कार्यहित में आवश्यक है।

अतएव अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ पदस्थापित कार्यालय अधीक्षकों के कार्यरत बल की अद्यतन सूची संलग्न विहित प्रपत्र में अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक: तथैव।

विश्वासभाजन

(योगेन्द्र प्रसाद रजक)
कार्मिक निदेशक
1010

DP(2)/ DP_(H) New -6/ Deobrata/ 77

Anx 3

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड

अभियंत्रण भवन, एच. इ. सी. धुर्वा,
राँची – 834004

पत्रांक 298

संचिका संख्या – 8/ कार्मिक/प्रोन्नति–का0अ0–10023/09

दिनांक 5-2-09

प्रेषक:

योगेन्द्र प्रसाद रजक
कार्मिक निदेशक

सेवा में,

सचिव
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड,
पटना।

विषय: कार्यालय अधीक्षक से प्रशाखा पदाधिकारी (क्षेत्रीय संवर्ग) के पद पर प्रोन्नति से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन पदस्थापित कार्यालय अधीक्षकों एवं विभिन्न यूनियन प्रतिनिधियों के द्वारा कार्यालय अधीक्षक से प्रशाखा पदाधिकारी (क्षेत्रीय संवर्ग) के पद पर प्रोन्नति देने के मामले पर बराबर दबाव दिया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से अन्य संवर्ग में प्रोन्नति से संबंधित सभी अभिलेख पूर्व में प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर संबंधित संवर्ग में प्रोन्नति दी गई है परन्तु कार्यालय अधीक्षक से प्रशाखा पदाधिकारी (क्षेत्रीय संवर्ग) के पद पर अब तक प्रोन्नति नहीं दी गई जबकि वर्ष 1998 से ही वे कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं।

अतः अनुरोध है कि कार्यालय अधीक्षक से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति से संबंधित अभिलेख यथा वरीयता सूची, कालावधि, कार्यालय अधीक्षक से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के पश्चात विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय संवर्ग के प्रशाखा पदाधिकारी के स्वीकृत पद पूर्व में दी गई प्रोन्नति से संबंधित संलेख एवं विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाही की प्रति यथा शीघ्र भेजने की कृपा की जाय, जिससे कि झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन पदस्थापित कार्यालय अधीक्षकों को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के मामले पर विचार किया जा सके एवं औद्योगिक शान्ति बनाई रखी जा सके।

विश्वासभाजन
5/2/09
(योगेन्द्र प्रसाद रजक)
कार्मिक निदेशक

55

6

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना।
(कार्मिक विभाग)

स्थायी आदेश सं० 21 डा 4—5010/75-494/वि० बोर्ड, दिनांक 26-12-75

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति तथा प्रोन्नति में समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये विभिन्न आदेशों को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने अपने संकल्प संख्या 3504 दिनांक 9. 12. 75 के द्वारा यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति सम्बन्धी मामलों में निम्नलिखित अनुदेशों को सम्यक्‌रूपेण पालन करने में किसी तरह की शिथिलता न बरती जाए—

1. अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत।

जिन सेवाओं में और जिन पदों पर राज्य स्तर पर सीधी भरती द्वारा नियुक्तियाँ की जाती हैं उनमें 14 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित जातियों के लिए और 10 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रखी जाएगी।

विवरणी-1 में राज्य के प्रमंडलों और ज़िलों में क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणीय रिक्तियों का प्रतिशत बतलाया गया है।

जबतक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों का अनुपात श्रेणी 3 और 4 के सेवा संवर्ग में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार नहीं हो जाता, तबतक उनके लिए तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय सेवा पदों में निम्न रूप से 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

(क) श्रेणी 3 एवं 4 के ऐसे पदों और सेवाओं में जिनमें राज्य स्तर पर भरती की जाती है 30 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित जातियों के लिए और 20 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रखी जाएगी।

(ख) क्षेत्रीय या स्थानीय संवर्गों, स्थापनाओं और कार्यालयों में श्रेणी 3 एवं 4 के पदों की रिक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों के लिए विवरणी-2 में बतलाए गए प्रतिशत के अनुसार आरक्षण रहेगा।

राजपत्रित वर्ग-1 एवं 2 में भी 35 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत पदों को आरक्षित रखा जायगा।

यदि किसी विशेष अवसर पर एक ही रिक्ति हो तो उसे गैर सुरक्षित व्यक्ति द्वारा भरा जा सकता है लेकिन दूसरी बार उसी संवर्ग में यदि फिर एक रिक्ति होती है तो उसे सुरक्षित व्यक्ति द्वारा भरा जायगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को उचित आरक्षण दिलाने के लिए 50-50 रिक्तियों का एक रोस्टर का नमूना विवरणी-3 में दिया गया है।

2. प्रोन्नति में आरक्षण।

सीधा नियुक्ति की तरह प्रोन्नति के मामले में भी अनुसूचित जातियों के लिए 14 प्रतिशत और अनुसूचित जन-जातियों के लिए 10 प्रतिशत पद सुरक्षित रखे जाएंगे। प्रोन्नति प्रयोजनार्थ उन्हीं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जातियों के सेवकों के मामले पर विचार होगा जिन्हें :—

(क) सम्बन्धित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता और

(ख) न्यूनतम उत्तम सेवा अभिलेख प्राप्त हो।

ज्ञापांक 2/डी 4-5010/75-3664/वि० बोर्ड, दिनांक 26.12.75

प्रतिलिपि अभियन्ता प्रमुख सह सलाहकार (प्रावैधिक)/महा प्रबन्धक सह मुख्य अभियन्ता, मिथिला क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, दरभंगा/तिरहुत क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, मुजफ्फरपुर/केन्द्रीय बिहार क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, पटना/दक्षिण बिहार एवं छोटानागपुर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, राँची/मुख्य अभियन्ता (प्रावैधिक अंकेक्षण)/मुख्य अभियन्ता (जेनरेशन)/मुख्य अभियन्ता (संचारण)/मुख्य अभियन्ता (क्रय एवं भंडार)/मुख्य अभियन्ता (असैनिक), सुवर्णरेखा हाइडल प्रोजेक्ट, राँची/महा अधीक्षक, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन/पतरातू थर्मल पावर स्टेशन/संयुक्त सचिव (1)/संयुक्त सचिव (2)/संयुक्त सचिव (3)/कार्मिक निदेशक/लेखा निदेशक/वित्त निदेशक/निदेशक राजस्व/निदेशक आन्तरिक अंकेक्षण/सभी अधीक्षण अभियन्ता (आपूर्ति एवं संचारण अंचल)/अधीक्षण अभियन्ता (असैनिक), पतरातू थर्मल पावर स्टेशन/सुवर्णरेखा हाइडल प्रोजेक्ट सिकिदिरी, राँची/बोर्ड मुख्यालय/निदेशक (निगरानी)/निदेशक (सुरक्षा)/सभी उप कार्मिक निदेशक/सभी व्यक्तिवृन्द पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशासी पदाधिकारी/सभी प्रशासी-सह-कल्याण पदाधिकारी/जन-सम्पर्क पदाधिकारी को सूचनार्थ अग्रप्रेषित।

ह०/

कृष्ण प्रसाद
उपसचिव।

प्रतिलिपि

प्रशाखा-1	2 प्रति
प्रशाखा-2	10 प्रति
प्रशाखा-3	5 प्रति
प्रशाखा-4	5 प्रति
प्रशाखा-5	5 प्रति
प्रशाखा-6	5 प्रति
प्रशाखा-7	5 प्रति
प्रशाखा-8	5 प्रति

विवरणी-2

आरक्षित प्रतिशत

क्रम संख्या	प्रमंडल एवं जिले का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
	पटना प्रमंडल	48	2
1.	पटना	48	2
2.	नालन्दा	50	0
3.	गया	48	2
4.	औरंगाबाद	50	0
5.	नवादा	50	0
6.	शाहाबाद	50	0
7.	रोहतास	47	3
	तिरहुत प्रमंडल	48	2
8.	सारण	48	2
9.	सीवान	50	0
10.	पूर्वी चम्पारण	50	0
11.	पश्चिमी चम्पारण	47	3
12.	मुजफ्फरपुर	50	0
13.	सीतामढ़ी	50	0
14.	वैशाली	50	0
15.	दरभंगा	50	0
16.	समस्तीपुर	50	0
17.	मधुबनी	50	0
	सहरसा प्रमंडल	44	6
18.	पूर्णिया	42	8
19.	सहरसा	48	2
20.	बेगुसराय	50	0
	भागलपुर प्रमंडल	30	20
21.	मुंगेर	46	4
22.	भागलपुर	42	8
23.	संथालपरगना	10	40
	छोटानागपुर प्रमंडल	14	36
24.	हजारीबाग	28	22
25.	गिरीडीह	38	22
26.	राँची	5	45
27.	पलामू	28	22
28.	धनबाद	30	20
29.	सिंहभूम	5	45

निम्न कोटि से उच्च-कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए कालावधि का निर्धारण विवरणी-4 में किया गया है।

अग्रनयन (कैरी फारवार्ड) प्रणाली।

सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के मामलों में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार के लिए
रिक्तियाँ है वे अगर योग्य उम्मीदवार के अभाव में न भरा जा सका हो तो तीन भरती वर्षों तक उन्हें अग्रनीत
जाए। यदि किसी पद के लिये समुचित संख्या में आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित
जातियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो फिर से विज्ञापन निकाला जाए और तब उन पदों पर भरती की
। अगर फिर से विज्ञापन निकालने के बाद भी समुचित संख्या में वे उपलब्ध नहीं हो तब अग्रनयन किया
। तृतीय वर्ष में अगर पाया जाए कि योग्य हरिजन उम्मीदवार हरिजनों के लिये आरक्षित पदों के लिये
ध नहीं हैं या सुयोग्य अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार आरक्षित अनुसूचित जन-जातियों के लिये उपलब्ध
, तो अनुसूचित जातियों के आरक्षित पदों पर अनुसूचित जन-जातियों को और अनुसूचित जन-जातियों के
आरक्षित पदों पर अनुसूचित जातियों को बहाल किया जाए। इन रिक्तियों को तीन वर्षों तक अग्रनयन
फारवर्ड) करने पर तथा पदों को रिक्त रखने पर यदि प्रशासनिक दृष्टि से कठिनाई हो और यदि इन पदों को
में रिक्त नहीं रखा जा सकता हो तो बोर्ड के सामने इसे रखा जाए।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के आदेश से,
ह०/
चितरंजन प्रसाद
बोर्ड के सचिव।

(4)

विवरणी-1

आरक्षित प्रतिशत

संख्या	प्रमंडल एवं जिले का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
	पटना प्रमंडल	20	1
1.	पटना	17	1
2.	नालन्दा	17	0
3.	गया	22.5	1
4.	औरंगाबाद	25	0
5.	नवादा	22.5	1
6.	शाहाबाद	17	0
7.	रोहतास	17	1
	तिरहुत प्रमंडल	14	1
8.	सारण	11½	1
9.	सीवान	11½	0
10.	पूर्वी चम्पारण	14½	0
11.	पश्चिमी चम्पारण	14½	1
12.	मुजफ्फरपुर	16	0
13.	सीतामढ़ी	16	0
14.	वैशाली	16	0
15	दरभंगा	15	0
16.	समस्तीपुर	15	0
17.	मधुबनी	15	0
	सहरसा प्रमंडल	15	3
18.	पूर्णिया	11½	4
19.	सहरसा	17	1
20.	बेगुसराय	15½	0
	भागलपुर प्रमंडल	12	1
21.	मुंगेर	15½	2
22.	भागलपुर	11	4
23.	संथालपरगना	8	33½

ज्ञापांक 2/डी 4-5019/75-3664/बि० बोर्ड, दिनांक 26.12.75

प्रतिलिपि सदस्य (प्रशासन)/सदस्य (लेखा)/अध्यक्ष के आप्त सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को सूचनार्थ अग्रसारित।

ह०/

कृष्ण प्रसाद
उप सचिव।

विवरणी-[illegible]

रोस्टर का नमूना (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी संवर्गों के लिए)

1—असुरक्षित
2—अनुसूचित जाति
3—असुरक्षित
4—अनुसूचित जनजाति
5—7 असुरक्षित
8—अनुसूचित जाति
9—12 असुरक्षित
13—अनुसूचित जनजाति
14—असुरक्षित
15—अनुसूचित जाति
16—21 असुरक्षित
22—अनुसूचित जाति
23—अनुसूचित जनजाति
24—28 असुरक्षित
29—अनुसूचित जाति
30—32 असुरक्षित
33—अनुसूचित जनजाति
34—35 असुरक्षित
36—अनुसूचित जाति
37—42 असुरक्षित
43—अनुसूचित जनजाति
44—अनुसूचित जाति
45—50 असुरक्षित

(3)

विवरणी-4

पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि
1. कनीय अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	
(क) ऐसे कनीय अभियन्ता जिन्होंने ए०एम०आई० की योग्यता प्राप्त कर ली है		5 वर्ष
(ख) ऐसे कनीय अभियन्ता जिन्होंने ए०एम०आई० की योग्यता हासिल नहीं की है		8 वर्ष
2. अभियन्ता सहायक	सहायक अभियन्ता	5 वर्ष
3. सहायक अभियन्ता सहायक अधीक्षक	कार्यपालक अभियन्ता उप अधीक्षक	8 वर्ष
4. कार्यपालक अभियन्ता उप अधीक्षक	अधीक्षण अभियन्ता अधीक्षक	7 वर्ष
5. अधीक्षण अभियन्ता अधीक्षण	अपर मुख्य अभियन्ता महा अधीक्षक	5 वर्ष
6. सहायक नियंत्रक फोरमैन ग्रेड-1	नियंत्रक हेड फोरमैन	8 वर्ष
7. लेखा सहायक	लेखापाल	8 वर्ष
8. लेखापाल	कनीय लेखा पदाधिकारी	9 वर्ष
9. कनीय लेखा पदाधिकारी	लेखा पदाधिकारी	4 वर्ष
10. लेखा पदाधिकारी	उप-लेखा निदेशक	6 वर्ष
11. उप-लेखा निदेशक	लेखा निदेशक	6 वर्ष
12. निम्नवर्गीय सहायक	उच्चवर्गीय सहायक	8 वर्ष
13. उच्चवर्गीय सहायक	प्रशाखा पदाधिकारी	10 वर्ष
14. प्रशाखा पदाधिकारी कार्यालय अधीक्षक	प्रशासी पदाधिकारी	जो सबसे सुयोग्य व्यक्ति पाये जायं उन्हीं को वरीयता का ख्याल रखते हुए प्रोन्नति दी जाए।
15. आशुलिपिक श्रेणी-2	आशुलिपिक श्रेणी-1 निजी सहायक	निहित परीक्षा पास करने के तुरत बाद सुरक्षित स्थानों पर बहाली की जाए।
16. टंकक वर्ग-2	टंकक वर्ग-1	5 वर्ष
17. टंकक वर्ग-2	प्रधान टंकक	7 वर्ष
18. दिनचर्या लिपिक	प्रवर कोटि दिनचर्या लिपिक	5 वर्ष
19. दिनचर्या लिपिक (दोनों संवर्गों से)	निम्नवर्गीय सहायक	निम्नवर्गीय परीक्षा पास करने के तुरत बाद सुरक्षित स्थानों पर बहाली की जाए।
20. लिपिक	प्रवर कोटि लिपिक प्रधान लिपिक	10 वर्ष

	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि
21. अपर कोटि लिपिक	प्रधान लिपिक	8 वर्ष
22. प्रधान लिपिक	कार्यालय अधीक्षक	10 वर्ष
23. सांख्यिकी सहायक	सांख्यिकी पर्यवेक्षक	8 वर्ष
24. सांख्यिकी पर्यवेक्षक	सांख्यिकी पदाधिकारी	8 वर्ष
25. सहायक अनुवादक श्रेणी-1	अनुवादक श्रेणी-2	7 वर्ष
26. सहायक अनुवादक श्रेणी-2	अनुवाद पदाधिकारी	8 वर्ष
27. कनीय लेखा लिपिक विपत्र लिपिक	विपत्र समाहर्त्ता लेखा सहायक	8 वर्ष
28. [illegible] लिपिक	अनुरेखक	8 वर्ष
29. अनुरेखक	प्रारूपक श्रेणी-2	8 वर्ष
30. प्रारूपक श्रेणी-2	प्रारूपक श्रेणी-1 प्रधान प्रारूपक	7 वर्ष
31. प्रारूपक श्रेणी-1 प्रधान प्रारूपक	अपर कोटि प्रारूपक	6 वर्ष
32. सहायक परिचालक	परिचालक	6 वर्ष
33. परिचालक	सहायक नियंत्रक	8 वर्ष
34. [illegible]	[illegible]	6 वर्ष

AXIX-5

24

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड

अभियंत्रण भवन, एच० ई० सी०, धुर्वा, राँची - 04
फैक्स-0651-2403799

अधिसूचना संख्या 6147 दिनांक 14.12.04

श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, उच्च वर्गीय सहायक, बोर्ड मुख्यालय, राँची को प्रशाखा पदाधिकारी (चालु प्रभार) के पद पर कार्य करने के अनुमति दी जाती है।

अधिसूचना संख्या 6148 दिनांक 14.12.04

श्री जयन्त कुमार मुखर्जी, उच्च वर्गीय सहायक, सिंहभुम विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, जमशेदपुर को प्रशाखा पदाधिकारी (चालु प्रभार) के पद पर कार्य करने के अनुमति दी जाती है।

अधिसूचना संख्या 6149 दिनांक 14.12.04

श्री मनोहर एक्का, (एस० टी०) उच्च वर्गीय सहायक, बोर्ड मुख्यालय, राँची को प्रशाखा पदाधिकारी (चालु प्रभार) के पद पर कार्य करने के अनुमति दी जाती है।

अधिसूचना संख्या 6150 दिनांक 14.12.04

श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, उच्च वर्गीय सहायक, बोर्ड मुख्यालय, राँची को प्रशाखा पदाधिकारी (देख-रेख) के पद पर कार्य करने के अनुमति दी जाती है।

अधिसूचना संख्या 6151 दिनांक 14.12.04

श्री राजेश्वर उपाध्याय, उच्च वर्गीय सहायक, बोर्ड मुख्यालय, राँची को प्रशाखा पदाधिकारी (देख रेख) के पद पर कार्य करने के अनुसति दी जाती है।

अधिसूचना संख्या 6152 दिनांक 14.12.04

श्री रविन्द्र नाथ सिंह, उच्च वर्गीय सहायक, बोर्ड मुख्यालय, राँची को प्रशाखा पदाधिकारी (देख रेख) के पद पर कार्य करने के अनुमति दी जाती है।

झा० रा० वि० बोर्ड के आदेश से,

(signature) 14.12.04
(एस० आर० सिन्हा)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 6153 दिनांक 14.12.04

प्रतिलिपि, अध्यक्ष के निजी सहायक/ अध्यक्ष के तकनिकी सलाहकार/ सदस्य (उत्पादन एवं वितरण) के तकनिकी सचिव/ सदस्य (ग्रामीण विद्युतीकरण) के तकनिकी सचिव / सदस्य (वित्त) के तकनिकी सचिव/ सदस्य (संचरण) के तकनिकी सचिव/ आरक्षी महानिरीक्षक (नि० एवं सु०) के निजी सहायक/ सचिव के निजी सहायक, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(signature) 14.12.04
(एस० आर० सिन्हा)
संयुक्त सचिव

(signature) 15/12/04

46

ज्ञापांक 6153 दिनांक 14.12.04

प्रतिलिपि, महाप्रबंधक, पतरातु वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान, पतरातु/ सभी महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता/ सभी मुख्य अभियंता/ मुख्य अभियंता (असैनिक)/ परियोजना प्रबंधक, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना, सिकिदरी/ तकनिकी सेवा, राँची/ वरीय विधि परामर्शी–सह–अपर सचिव/ लेखा निदेशक/ कार्मिक निदेशक/ निदेशक जन सम्पर्क/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप कार्मिक निदेशक/ सभी उप लेखा निदेशक/ सभी लेखा पदाधिकारी/ लेखा पदाधिकारी (स्थापना)/ सभी प्रशासी पदाधिकारी/ सभी कार्मिक पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सभी संबंधित उच्च वर्गीय सहायको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.12.04
(एस0 आर0 सिन्हा)
संयुक्त सचिव
14/12/04

ANX-6

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड

अभियंत्रण भवन, एच.ई.सी., धुर्वा, राँची– 834004.

अधिसूचना संख्या 469 IV/Adm/S.O/Prom-302/02 दिनांक 24.01.09

श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, प्रशाखा पदाधिकारी, बोर्ड मुख्यालय,, राँची को प्रशासी पदाधिकारी के पद पर तत्क्षण प्रभाव से प्रोन्नत किया जाता है।

अधिसूचना संख्या 470 दिनांक........................

श्री जयन्त कुमार मुखर्जी, प्रशाखा पदाधिकारी, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र जमेशदपुर को प्रशासी पदाधिकारी के पद पर तत्क्षण प्रभाव से प्रोन्नत किया जाता है।

अधिसूचना संख्या 471 दिनांक 24.01.09

प्रदीप कुमार पाण्डेय प्रशाखा पदाधिकारी, बोर्ड मुख्यालय,, राँची को प्रशासी पदाधिकारी के पद पर तत्क्षण प्रभाव से प्रोन्नत किया जाता है।

झारखण्ड राज्य विद्युत् बोर्ड के आदेश से

24/1/09

(एम०एल० प्रसाद)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 472 दिनांक 24.01.09

प्रतिलिपि, श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, प्रशाखा पदाधिकारी, बोर्ड मुख्यालय,, राँची,/श्री जयन्त कुमार मुखर्जी, प्रशाखा पदाधिकारी, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र जमेशदपुर झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची/श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय प्रशाखा पदाधिकारी, बोर्ड मुख्यालय,, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/1/09

(एम०एल० प्रसाद)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 472 दिनांक 24.01.09

प्रतिलिपि, अध्यक्ष के सचिव/निजी सहायक/सदस्य (तकनिकी) के तकनिकी सचिव/ सदस्य (वितरण) के तकनिकी सचिव /आरक्षी महानिरिक्षक (निगरानी) के निजी सहायक/ सचिव के निजी सहायक, झारखण्ड राज्य विद्युत् बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

24/1/09

(एम०एल० प्रसाद)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 472 /राँची, दिनांक 24.01.09 /

प्रतिलिपि अभियन्ता प्रमुख/महाप्रबंधक, पतरातू वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान, पतरातू/ महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, राँची /धनबाद /हजारीबाग/ दुमका/जमशेदपुर/ मेदिनीनगर/संचरण जोन–1, राँची/संचरण जोन–2, दुमका/संचरण जोन–3, जमशेदपुर/सभी मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता (असैनिक)/वरीय विधि परामर्शी/सभी वित्त नियंत्रक–2/लेखा नियंत्रक/सभी विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति अंचल/संचरण अंचल/सभी अधीक्षण अभियन्ता (असैनिक)/सभी परियोजना प्रबंधक/कार्मिक निदेशक/सभी लेखा निदेशक/निदेशक (जन सम्पर्क)/सभी संयुक्त सचिव/सभी अवर सचिव/सभी कार्यपालक अभियन्ता/सभी उप–लेखा निदेशक/सभी उप–कार्मिक निदेशक/सभी प्रशासी पदाधिकारी/सभी कार्मिक पदाधिकारी/सभी लेखा पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी श्रम–कल्याण पदाधिकारी, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उक्त प्रशाखा पदाधिकारियों को प्रशासी पदाधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध वेतनमान रू० 6825–225–7950–275–13175/– में प्रोन्नति दी जाती है।

3. अंतिम रूप से संवर्ग विभाजन होने के पश्चात उनके लिए उनकोदेय पद ही मान्य होगा।

4. उपरोक्त प्रोन्नति उनके विरुद्ध लम्बित आरोप/विभागीय कार्यवाही (यदि हो तो) के फलाफल से प्रभावित होगा।

24/1/09

(एम०एल० प्रसाद)
संयुक्त सचिव

(57

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड

अभियंत्रण भवन, एच. इ. सी. धुर्वा, राँची - 834004

अधिसूचना संख्या 4503 / विद्युत बोर्ड, राँची — दिनांक 01.8.07

संचिका संख्या – IV/ प्रशासन/

श्री जयन्त कुमार मुखर्जी, उच्चवर्गीय सहायक, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, जमशेदपुर जिन्हें बोर्ड की अधिसूचना संख्या 6148 दिनांक 14.12.2004 द्वारा प्रशाखा पदाधिकारी का चालू प्रभार दिया गया था, को तत्क्षण प्रभाव से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति दी जाती है।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के आदेश से।

(एस0 एन0 प्रसाद)
संयुक्त सचिव - III

ज्ञापांक 4504 — दिनांक 01.8.07

प्रतिलिपि श्री जयन्त कुमार मुखर्जी, प्रशाखा पदाधिकारी (चालू प्रभार), विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(एस0 एन0 प्रसाद)
संयुक्त सचिव - III

ज्ञापांक 4504 — दिनांक 01.8.07

प्रतिलिपि अध्यक्ष के तकनीकी सचिव/ सदस्य (राजस्व) के निजी सहायक/ सदस्य (तकनीकी) के निजी सहायक/ आरक्षी महानिरीक्षक (निगरानी एवं सुरक्षा) के निजी सहायक/ सचिव के निजी सहायक, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची को सूचनार्थ अग्रसारित।

(एस0 एन0 प्रसाद)
संयुक्त सचिव - III

ज्ञापांक 4504 — दिनांक 01.8.07

प्रतिलिपि महाप्रवन्धक, पतरातू वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान, पतरातू/ सभी महाप्रवन्धक सह मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/ संचरण प्रक्षेत्र/ सभी मुख्य अभियंता/ वरीय विधि परामर्शी/ सभी परियोजना प्रवन्धक/ सभी अधीक्षण अभियंता/ अपर सचिव/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी निदेशक/ सभी उप निदेशक/ सभी अवर सचिव/ सभी लेखा पदाधिकारी/ सभी कार्मिक पदाधिकारी/ सभी प्रशासी पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. श्री जयन्त कुमार मुखर्जी को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर उक्त प्रोन्नति प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध एवं रु0. 6200—200—7800—1250—11050/— के वेतनमान में दी जाती है।

3. अन्तिम रुप से संवर्ग विभाजन होने के उपरान्त स्थानान्तरित स्थान में उनके लिए देय पद ही मान्य होगा।

4. मंत्रीमंडल (निगरानी) विभाग से प्रोन्नत पदाधिकारियों के विरुद्ध यदि प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो सम्बन्धित पदाधिकारी की प्रोन्नति आदेश रद्द समझा जायेगा।

(एस0 एन0 प्रसाद)
संयुक्त सचिव - III